कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय
ब्लॉक - 3, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
Email - slqaccg@gmail.com, Website - highereducation.cg.gov.in

---

क्रमांक: GENCOR/31134/2026 दिनांक: 03-11-2026

प्रति,

प्राचार्य
समस्त महाविद्यालय, छत्तीसगढ़

अत्यंत महत्वपूर्ण

कुलसचिव
समस्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़

विषयः- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अंतर्गत "इंटर्नशिप कोर्स संचालन नीति, 2026" का प्रेषण।

संदर्भः- उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक GENCOR-35/7408/2026/38-2 नवा रायपुर दिनांक 21-10-2026

----000----

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरुप स्नातक पाठ्यक्रम के षष्ठम सेमेस्टर में 02 क्रेडिट का इंटर्नशिप कोर्स संचालित किया जाना निर्धारित है। इस संबंध में संदर्भित पत्र द्वारा "इंटर्नशिप कोर्स संचालन नीति, 2026" प्रशासकीय अनुमोदन एवं माननीय राज्यपाल के अनुमोदन उपरांत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है।

अतः उक्त नीति के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु संबंधित स्तरों पर दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण करते हुए आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करें तथा नीति में निर्धारित प्रावधानों के अनुरुप इंटर्नशिप कोर्स का संचालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

संलग्न: "इंटर्नशिप कोर्स संचालन नीति, 2026"

Digitally signed by
RITA YADAV
Date: 03-11-2026
14:18:00

आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर, रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्र.: GENCOR/31134/2026 दिनांक: 03-11-2026

प्रतिलिपि

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ।
2. अपर संचालक, उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. रिसर्च क्वालिटी इंडस्ट्री एकेडेमिया कोलैबोरेशन सेल, रूसा, रायपुर को सूचनार्थ।
4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सही/-
आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक GENCOR-35/7408/2026/38-2 नवा रायपुर अटल नगर,दिनांक /10/2026
प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय
इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर

विषय:- 'इन्टर्नशिप कोर्स संचालन नीति, 2026' को अनुमोदित कर प्रेषित करने बाबत्।

संदर्भ:- आपका नस्ती क्र. GENS-12/275/2026-ECTION-FINANCE &ACCOUNT ESTABLISHMENT (RUSA)

-----00-----

विषयांतर्गत संदर्भित नस्ती का कृपया अवलोकन करें ं।

2/ निर्देशानुसार लेख है कि प्रशासकीय अनुमोदन एवं माननीय राज्यपाल के अनुमोदन के अनुक्रम में 'इन्टर्नशिप कोर्स संचालन नीति, 2026' संलग्न प्रेषित है। कृपया तदनुसार आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by
"LEENA RAKESH"
Date: 21-10-2026
13:07:53

(लीना राकेश)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
के अन्तर्गत संचालित
चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम हेतु
प्रावधानित इंटर्नशिप

।।।

'इंटर्नशिप कोर्स संचालन नीति'
2026

।।।

उच्च शिक्षा विभाग
छत्तीसगढ़ शासन
रायपुर

04/08/26
प्रो. (डॉ.) संजय तिवारी
कुलपति
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

1.0 पृष्ठभूमि

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 [National Education Policy (NEP), 2020] के अन्तर्गत चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम, प्रदेश के समस्त राजकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों तथा शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित किया जा रहा है, जिसके अंडरग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क (यूजीसीएफ) [Undergraduate Curriculum Framework (UGCF)] के अनुसार छठवें सेमेस्टर (Sixth Semester) में समस्त **छात्र-छात्राओं** (नियमित/स्वाध्यायी) के व्यावहारिक/व्यावसायिक ज्ञानवर्द्धन हेतु दो क्रेडिट्स (Credits) (60 घंटे का क्षेत्रीय अध्ययन कार्य) की इंटर्नशिप कराई जानी सुनिश्चित की गई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप समस्त छात्र-छात्राओं (नियमित/स्वाध्यायी) को आत्मनिर्भर बनाने, स्वरोजगार हेतु प्रेरित करने, उनकी दक्षता/क्षमता एवं व्यक्तित्व को निखारने तथा नेतृत्व एवं सृजनात्मकता के गुणों में वृद्धि करने के उद्देश्य से अंडरग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क (यूजीसीएफ) अन्तर्गत पाँचवे सेमेस्टर तक वैल्यू एडिशन कोर्स [Value Addition Course] एवं स्किल इन्हांसमेंट कोर्स [Skill Enhancement Course] का अध्यापन करते हुए छठवें सेमेस्टर में इंटर्नशिप कोर्स में इंटर्नशिप (Internship)/प्रोजेक्ट (Project) / आउटरीच ऐक्टिविटी (Outreach Activity) से संबंधित गतिविधियों का समावेश किया गया है।

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु, उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता एवं प्रदेश के युवाओं में आत्मनिर्भरता के दृष्टिगत विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के छठवें सेमेस्टर के समस्त छात्र-छात्राओं (नियमित/स्वाध्यायी) के लिए उक्त इंटर्नशिप कोर्स के समुचित संचालन हेतु 'नीति' निर्धारित की जाती है। **इंटर्नशिप कोर्स संचालन नीति,** 2026 नियमित एवं स्वाध्यायी समस्त छात्र-छात्राओं (नियमित/स्वाध्यायी) पर समान रूप से लागू होगी। प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में उक्त नीति के अनुरूप इंटर्नशिप कोर्स का संचालन किया जाना सुनिश्चित किया जाता है, जिसका संरक्षण, संवर्द्धन, मार्गदर्शन एवं निगरानी (Monitoring) के दायित्वों का निर्वहन रिसर्च, क्वालिटी इंडस्ट्री एकेडमिया कोलबरेशन सेल (आरक्यूआईएसीसी) [Research, Quality Industry Academia Collaboration Cell (RQIACC)], राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA), उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर द्वारा किया जाना है। इंटर्नशिप कोर्स के यथोचित संचालन हेतु समय-समय पर आवश्यकतानुरूप आरक्यूआईएसीसी (RQIACC) से निर्धारित अतिरिक्त दिशा निर्देश (Guideline)/निर्देश (Direction), आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा जारी किया जाना प्रावधानित है।

4/8/26

प्रो. (डॉ.) संजय तिवारी
कुलपति
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

2.0 इंटर्नशिप का अध्ययन स्रोत एवं प्रारूप

प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले समस्त शैक्षणिक संस्थानों (शासकीय/अशासकीय) में अध्ययनरत सभी छात्र-छात्राओं (नियमित/स्वाध्यायी) के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध उद्योगों/संस्थानों/प्रतिष्ठानों/संसाधनों के दृष्टिगत इंटर्नशिप हेतु शासकीय/अर्ध-शासकीय / शासकीय मान्यता प्राप्त / शासकीय पंजीकृत अध्ययन स्रोतों (Study Resources) पर आधारित प्रारूप निम्नानुसार निर्धारित किए जाते हैं–

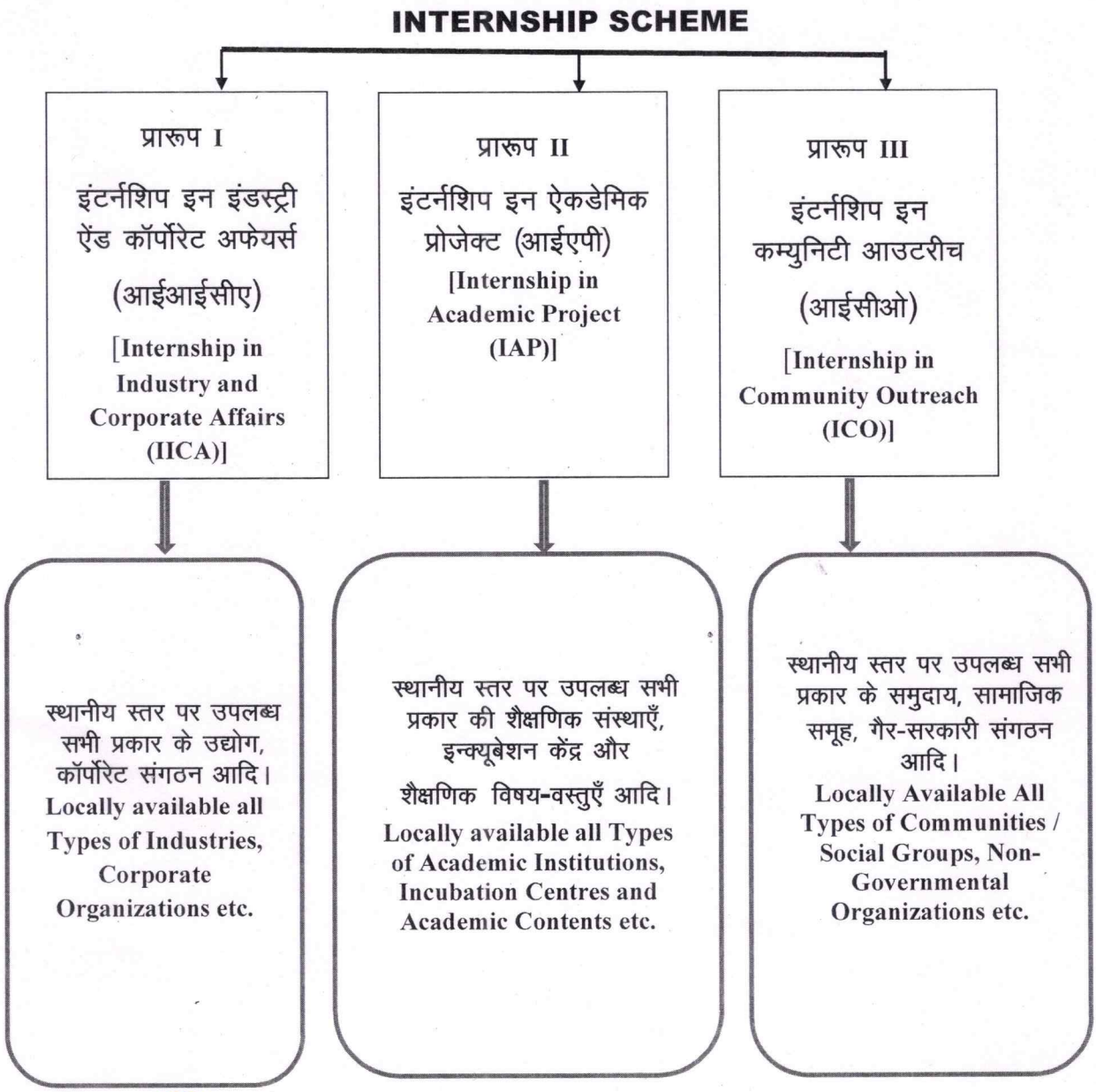

4/8/26
प्रो. (डॉ.) संजय तिवारी
कुलपति
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

इंटर्नशिप के विभिन्न प्रारूपों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले अध्ययन स्रोतों का शासकीय, अर्ध-शासकीय, शासकीय मान्यता प्राप्त या शासकीय पंजीकृत होना आवश्यक है। ऐसे अध्ययन स्रोत ही 'अनुमति योग्य' अध्ययन स्रोत होंगे। निजी क्षेत्र के अध्ययन स्रोत (अनुमति योग्य उद्योग/संस्था/संगठन/फर्म/सोसाइटी/विभाग) होने की दशा में अध्ययन स्रोत का शासन द्वारा प्रदत्त पंजीयन पत्र / अनुमति पत्र / मान्यता पत्र / संबद्धता पत्र / अन्य संबंधित दस्तावेज की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी आवश्यक है।

2.1 प्रारूप I : इंटर्नशिप इन इंडस्ट्री ऐंड कॉर्पोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) [Internship in Industry and Corporate Affairs (IICA)]

इस प्रारूप अन्तर्गत स्थानीय/क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध भारी उद्योग / लघु उद्योग / कुटीर उद्योग तथा कॉर्पोरेट प्रतिष्ठान यथा–बैंक, नगर निगम आदि इंटर्नशिप के प्रमुख अध्ययन स्रोत (Study Resources) होंगे। सुलभ संदर्भ हेतु तत्संबंधी संभावित अध्ययन स्रोतों की सूची संलग्न है **(परिशिष्ट 1)**।

2.2 प्रारूप II : इंटर्नशिप इन ऐकडेमिक प्रोजेक्ट (आईएपी) [Internship in Academic Project (IAP)] इस प्रारूप के अन्तर्गत स्थानीय/क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध अनुमति योग्य शैक्षणिक संस्थान यथा– राजकीय एवं निजी विश्वविद्यालय, शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय, प्रशिक्षण केन्द्र, तकनीकी संस्थान, शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय, कोचिंग संस्था, शासकीय/अर्ध-शासकीय विभाग के साथ सामान्य शैक्षणिक विषय-वस्तु/संसाधन/नीति-नियम अभिलेख, योजनाएँ आदि इंटर्नशिप के प्रमुख अध्ययन स्रोत (Study Resources) होंगे। सुलभ संदर्भ हेतु तत्संबंधी संभावित अध्ययन स्रोतों की सूची संलग्न है **(परिशिष्ट 2)**।

2.3 प्रारूप III : इंटर्नशिप इन कम्युनिटी आउटरीच (आईसीओ) [Internship in Community Outreach (ICO)]

इस प्रारूप के अन्तर्गत स्थानीय/शैक्षणिक स्तर पर उपलब्ध सामुदायिक प्रतिष्ठान/संगठन यथा–आँगनबाड़ी, पंचायत, पंजीकृत आवासीय कॉलोनी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सामाजिक संगठन, ग्रामीण व्यवस्था, ग्राम स्तरीय कृषि-पद्धति, हाट-बाजार, चिकित्सा-केन्द्र / चिकित्सीय जाँच-केन्द्र, विशिष्ट व्यापार-केन्द्र, व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि इंटर्नशिप के प्रमुख अध्ययन स्रोत (Study Resources) होंगे। सुलभ संदर्भ हेतु तत्संबंधी संभावित अध्ययन स्रोतों की सूची संलग्न है **(परिशिष्ट 3)**।

2.4 इंटर्नशिप के सामान्य दिशा निर्देश

2.4.1 अनुबंध एवं सहमति ज्ञापन [मेमरैंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) Memorandum of Understanding (MoU)] के संबंध में दिशा निर्देश

महाविद्यालय के प्राचार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग [यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट (यूटीडी)University Teaching Department (UTD)] के इंटर्नशिप प्रकोष्ठ के अध्यक्ष-सह-संयोजक यह सुनिश्चित करेंगे कि इस नीति के बिन्दु 8 में उल्लिखित **परिशिष्ट 1, 2 एवं 3** में वर्णित अध्ययन स्रोतों, विशेष रूप से महाविद्यालय / विश्वविद्यालय (यूटीडी) के निकटवर्ती क्षेत्रों में उपलब्ध अध्ययन स्रोतों से अधिक से अधिक अनुबंध किए जाएँ, साथ ही अधिक से अधिक अध्ययन

4/2/26

प्रो. (डॉ.) संजय तिवारी
कुलपति
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

स्रोतों के साथ, सहमति के आधार पर, सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएँ (अर्थात हस्ताक्षर करके सहमति प्राप्त की जाए), जिससे सभी छात्र-छात्राओं (नियमित/स्वाध्यायी) को इंटर्नशिप करने में सुविधा हो सके। इस हेतु महाविद्यालय / विश्वविद्यालय (यूटीडी) के विभागाध्यक्षों को अनुबंध करने तथा सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करके सहमति प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया जाए।

महाविद्यालय के प्राचार्य तथा विश्वविद्यालय (यूटीडी) इंटर्नशिप प्रकोष्ठ के संयोजक/अध्यक्ष इंटर्नशिप कोर्स हेतु अधिक से अधिक संख्या में अनुबंध करने तथा सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करके सहमति प्राप्त करने के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करेंगे।

2.4.2 स्नातक पाठ्यक्रम अन्तर्गत संचालित समस्त विषयों/संकायों से संबंधित प्रस्तावित इंटर्नशिप शीर्षक (Title / Topic for Internship) की सूची, उदाहरण के रूप में, उपर्युक्त तीनों प्रारूपों हेतु पृथक्-पृथक् (**कम से कम 10-10**), केन्द्रीय अध्ययन मण्डल के द्वारा निर्धारित करिकुलम प्रारूप (परिशिष्ट 4) में, उपलब्ध कराया जाएगा जिसका प्रसारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति [National Education Policy (NEP)] सेल, संचालनालय, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) एवं आरक्यूआईएसीसी (RQIACC) द्वारा आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर (छ.ग.) के माध्यम से किया जाएगा।

2.4.3 उपर्युक्त प्रत्येक प्रारूप अन्तर्गत सूचीबद्ध अध्ययन स्रोतों में से महाविद्यालय / विश्वविद्यालय (यूटीडी) के परिक्षेत्र में उपलब्ध स्रोत से महाविद्यालय / विश्वविद्यालय (यूटीडी) द्वारा राज्य/संभाग/जिला स्तरीय अनुबन्ध के आधार पर तथा छात्र/छात्रा (नियमित/स्वाध्यायी) द्वारा अध्ययन स्रोत से सीधा संपर्क कर सहमति लेकर इंटर्नशिप कोर्स किया जाएगा।

2.4.4 इंटर्नशिप कोर्स हेतु उपर्युक्तानुसार निर्धारित किसी प्रारूप अन्तर्गत महाविद्यालय / विश्वविद्यालय (यूटीडी) द्वारा अनुबंधित / सहमति ज्ञापन हस्ताक्षरित अध्ययन स्रोतों से इंटर्नशिप करने के लिए अनुमति बाबत् छात्र/छात्रा द्वारा सीधा आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा, परन्तु किसी प्रारूप अन्तर्गत अनुबंधित / सहमति ज्ञापन हस्ताक्षरित अध्ययन स्रोतों के अतिरिक्त किसी अन्य अनुमति योग्य उद्योग/संस्था/संगठन/फर्म/सोसाइटी/विभाग से इंटर्नशिप करने के लिए अनुमति हेतु छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन के साथ उक्त संगठन का विस्तृत विवरण (प्रपत्र 1.ख) सहमति सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

3.0 इंटर्नशिप प्रकोष्ठ (Internship Cell)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के प्रावधानानुसार चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के छठवें सेमेस्टर के समस्त छात्र-छात्राओं (नियमित/स्वाध्यायी) हेतु इंटर्नशिप कोर्स के संचालन एवं प्रबन्धन की जिम्मेदारी महाविद्यालय हेतु प्राचार्य एवं विश्वविद्यालय (यूटीडी) हेतु वरिष्ठतम संकायाध्यक्ष (Dean) / संयोजक की 'अध्यक्षता' में गठित 'इंटर्नशिप प्रकोष्ठ' की होगी। प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों / विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों में संस्थागत स्तर पर 'इंटर्नशिप प्रकोष्ठ' का गठन, निर्धारित संरचना अनुरूप प्राचार्य / वरिष्ठतम संकायाध्यक्ष (Dean) द्वारा सुनिश्चित किया जाना है।

3.1 इंटर्नशिप प्रकोष्ठ संरचना

4/8/26

प्रो. (डॉ.) संजय तिवार
कुलपति
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

(अ) विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग (यूटीडी) हेतु

संयोजक	विश्वविद्यालय के वरिष्ठ डीन / प्राध्यापक
सदस्य / संकाय प्रभारी	संचालित प्रत्येक संकाय के संकायाध्यक्ष (डीन)
सदस्य / कोर्स प्रभारी	संस्था में संचालित समस्त संकायों के समस्त विषयों के विभागाध्यक्ष / वरिष्ठ प्राध्यापक / सह-प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक

- विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग (यूटीडी) के 'इंटर्नशिप प्रकोष्ठ' हेतु विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम संकायाध्यक्ष (Dean) या प्रकोष्ठ संयोजक ही 'अध्यक्ष' के दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
- विश्वविद्यालय स्तर पर वरिष्ठतम संकायाध्यक्ष (Dean) अथवा प्रकोष्ठ संयोजक / अध्यक्ष ही नोडल अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

(ब) महाविद्यालय हेतु

संयोजक	महाविद्यालय / संस्था के वरिष्ठ प्राध्यापक
सदस्य / संकाय प्रभारी	संस्था में संचालित प्रत्येक संकाय (NEP 2020 के अनुसार निर्धारित संकाय यथा – बी.एससी. (बायोलॉजी), बी.एससी. (मैथमेटिक्स, बी.ए., बी.कॉम., बी.बी.ए., बी.सी.ए. एवं बी.एससी. (होम साइंस) से एक वरिष्ठ विभागाध्यक्ष / प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक
सदस्य / कोर्स प्रभारी	संस्था में संचालित समस्त संकायों के समस्त विषयों के विभागाध्यक्ष / प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक

- संभाग एवं जिला के अग्रणी महाविद्यालय के इंटर्नशिप प्रकोष्ठ संयोजक क्रमशः–**संभाग नोडल एवं जिला नोडल** होंगे जिनके द्वारा आरक्यूआईएसीसी (RQIACC) एवं क्षेत्रीय अपर संचालक के निर्देशन में तत्संबंधित दायित्वों का निर्वहन किया जाना है।

3.1.1 इंटर्नशिप प्रकोष्ठ संबंधी कार्यों के लिए महाविद्यालय में प्राचार्य के समस्त अधिकार और कर्तव्य विश्वविद्यालय में वरिष्ठतम संकायाध्यक्ष (Dean) अथवा प्रकोष्ठ संयोजक के लिए समान रूप से प्रभावी होंगे। विश्वविद्यालय के इंटर्नशिप प्रकोष्ठ के संयोजक ही इंटर्नशिप प्रकोष्ठ के अध्यक्ष (अध्यक्ष-सह-संयोजक) होंगे।

3.1.2 महाविद्यालय में शिक्षकों की न्यूनता की स्थिति में प्राचार्य द्वारा 'प्रकोष्ठ संयोजक' के रूप में तथा किसी शिक्षक द्वारा एक से अधिक प्रभारी / सदस्य के रूप में दायित्वों का निर्वहन किया जा सकेगा।

3.1.3 महाविद्यालय में शिक्षकों की संख्या 3 या 3 से कम होने पर उक्त महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य का सहयोग प्राप्त कर 'इंटर्नशिप प्रकोष्ठ' का गठन किया जाएगा।

4/8/26

प्रो. (डॉ.) संजय तिवारी
कुलपति
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

3.1.4 महाविद्यालय / विश्वविद्यालय (यूटीडी) के किसी विषय / विभाग में एक से अधिक शिक्षक कर्तव्यस्थ होने की स्थिति में इंटर्नशिप कोर्स संचालन हेतु सभी शिक्षकों को यथासंभव समसंख्यक छात्र-छात्राओं (नियमित / स्वाध्यायी) का वितरण किया जाएगा।

3.2 इंटर्नशिप प्रकोष्ठ के संयोजक / सदस्यों (प्रभारियों) के कर्तव्य / दायित्व

इंटर्नशिप प्रकोष्ठ के संयोजक / सदस्यों (प्रभारियों) के कर्तव्य / दायित्व निम्नानुसार निर्धारित किए जाते हैं–

संयोजक	i. इंटर्नशिप कार्यक्रम का संपूर्ण समन्वय / प्रबंधन / निगरानी / समस्याओं का समाधान करना, जिला / संभाग नोडल एवं आरक्यूआईएसीसी (RQIACC) के संपर्क में रहना तथा प्राप्त दिशा निर्देशों का पालन करना। ii. इंटर्नशिप हेतु राज्य राज्य स्तर / संभाग स्तर / जिला स्तर पर किए गए अनुबंधों तथा हस्ताक्षरित सहमति ज्ञापनों का संधारण करना, तथा अपने महाविद्यालय / विश्वविद्यालय (यूटीडी) के समस्त विभागाध्यक्षों को उक्त अनुबंधों / सहमति ज्ञापनों के आधार पर अपने (संबंधित) विभाग / विषय हेतु निर्धारित अध्ययन स्रोत सुनिश्चित करते हुए अध्ययन स्रोत के सक्षम पदाधिकारी से अनुबंध करने / अध्ययन स्रोत के सक्षम पदाधिकारी के साथ, सहमति के आधार पर, सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर प्राप्त करने हेतु प्रेरित करना। iii. इंटर्नशिप हेतु अनुबंधित / सहमति ज्ञापन हस्ताक्षरित अध्ययन स्रोतों से संपर्क / समन्वय स्थापित करना तथा समस्याओं / आपत्तियों का निराकरण महाविद्यालय में प्राचार्य की सहमति से करना। विश्वविद्यालय (यूटीडी) में यह कार्य 'संयोजक / अध्यक्ष' द्वारा किया जाएगा। iv. महाविद्यालय में इंटर्नशिप की अंत सेमेस्टर परीक्षा / एन्ड् सेमेस्टर इग्ज़ैमिनेशन् (ईएसई) [End Semester Examination (ESE)] / बाह्य मूल्यांकन के लिए परीक्षक की नियुक्ति हेतु महाविद्यालय के प्राचार्य को विषयवार पैनल (नाम-सूची) प्रस्तुत करना तथा निर्धारित समय अवधि में मूल्यांकन प्रक्रिया संपादित कराना एवं विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग को प्राप्तांकों के प्रेषण प्रक्रिया की निगरानी करना। v. विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में इंटर्नशिप की अंत सेमेस्टर परीक्षा / एन्ड् सेमेस्टर इग्ज़ैमिनेशन् (ईएसई) [End Semester Examination (ESE)] / बाह्य मूल्यांकन के लिए परीक्षकों की नियुक्ति हेतु विषयवार पैनल (नाम-सूची) का निर्धारण करना एवं परीक्षकों की विषयवार नियुक्ति करना तथा निर्धारित समय अवधि में मूल्यांकन प्रक्रिया संपादित कराना एवं विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग को प्राप्तांकों के प्रेषण प्रक्रिया की निगरानी करना।
सदस्य (संकाय प्रभारी)	i. महाविद्यालय / विश्वविद्यालय (यूटीडी) में संचालित अपने (संबंधित) संकाय के अंतर्गत समस्त विभागाध्यक्षों के प्रभारी के रूप में संबंधित संकाय अन्तर्गत अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राओं (नियमित / स्वाध्यायी) के इंटर्नशिप संबंधित गतिविधियों का समन्वय करना तथा संकाय के अंतर्गत सभी विभागाध्यक्षों एवं सभी छात्र-छात्राओं (नियमित / स्वाध्यायी) के मध्य सेतु स्वरूप समस्त दायित्वों का निर्वहन करना। ii. अपने महाविद्यालय / विश्वविद्यालय (यूटीडी) के अपने (संबंधित) संकाय के समस्त विभागाध्यक्षों को इंटर्नशिप हेतु राज्य राज्य स्तर / संभाग स्तर / जिला स्तर पर किए गए अनुबंधों तथा हस्ताक्षरित सहमति ज्ञापनों के आधार पर अपने विभाग / विषय हेतु निर्धारित अध्ययन स्रोत सुनिश्चित करते हुए अध्ययन स्रोत के सक्षम पदाधिकारी से अनुबंध करने / अध्ययन स्रोत के सक्षम पदाधिकारी के साथ, सहमति के आधार पर, सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर प्राप्त करने हेतु प्रेरित करना। इस हेतु इंटर्नशिप प्रकोष्ठ के संयोजक से सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त करना।

4/8/26

प्रो. (डॉ.) संजय तिवारी
कुलपति
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

	iii.	इंटर्नशिप कोर्स में संकाय के समस्त छात्र-छात्राओं (नियमित/स्वाध्यायी) की शत्-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा संकायवार समस्त छात्र-छात्राओं (नियमित/स्वाध्यायी) द्वारा चयन किए गए विषय / अध्ययन स्रोत के अभिलेखों का संधारण करना।
	iv.	समस्त छात्र-छात्राओं (नियमित/स्वाध्यायी) द्वारा प्रारूप / अध्ययन स्रोत / विषय के चयन में औसतन समान वितरण का ध्यान रखना, ताकि एक विषय / अध्ययन स्रोत विशेष में छात्र-छात्राओं (नियमित/स्वाध्यायी) की अधिकता न हो सके।
	v.	बाह्य मूल्यांकन प्रक्रिया अन्तर्गत अपने संकाय के परीक्षकों, विभागाध्यक्षों एवं समस्त छात्र-छात्राओं (नियमित/स्वाध्यायी) के मध्य समन्वय स्थापित करना तथा अपने संकाय के विभागाध्यक्षों / कोर्स प्रभारियों को सहयोग करना तथा यह सुनिश्चित करना कि विभागाध्यक्षों / कोर्स प्रभारियों ने विश्वविद्यालय के नियमानुसार समस्त छात्र-छात्राओं (नियमित/स्वाध्यायी) के प्राप्तांकों को नियमानुसार प्राचार्य (महाविद्यालय के लिए) / संयोजक (यूटीडी के लिए) के माध्यम से विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग को प्रेषित कर दिए गए हैं।
	vi.	इंटर्नशिप प्रकोष्ठ के संयोजक को सहयोग करना।
सदस्य (कोर्स प्रभारी)	i.	महाविद्यालय/यूटीडी में अपने (संबंधित) विषय/विभाग अन्तर्गत अध्ययनरत सभी छात्र-छात्राओं (नियमित/स्वाध्यायी) के लिए इंटर्नशिप अध्ययन स्रोत तथा विभाग/विषय से संबंधित कोर्सेस [डिसप्लिन् स्पेसिफिक कोर्स (डीएससी) Discipline Specific Course (DSC)] / [डिसप्लिन् स्पेसिफिक इलेक्टिव (डीएसई) Discipline Specific Elective (DSE)] / [जनेरिक् इलेक्टिव (जीई) Generic Elective (GE)] के अनुसार करिकुलम के आधार पर इंटर्नशिप शीर्षकों की सूची तैयार करना।
	ii.	इंटर्नशिप अध्ययन स्रोत हेतु संयोजक, संकाय प्रभारी एवं विभागाध्यक्ष से संपर्क स्थापित करना तथा विभाग/विषय से संबंधित सभी छात्र-छात्राओं (नियमित/स्वाध्यायी) के लिए इंटर्नशिप हेतु अध्ययन स्रोत सूची तथा इंटर्नशिप हेतु शीर्षक सूची जारी करना तथा सूचना पटल पर चस्पा करना।
	iii.	समस्त छात्र-छात्राओं (नियमित/स्वाध्यायी) की काउंसलिंग करना, समस्त छात्र-छात्राओं (नियमित/स्वाध्यायी) से इंटर्नशिप अध्ययन स्रोत एवं शीर्षक हेतु आवेदन (निर्धारित प्रपत्रों सहित) प्राप्त करना तथा यथोचित इंटर्नशिप हेतु शीर्षक आंबटन सुनिश्चित करना।
	iv.	समस्त छात्र-छात्राओं (नियमित/स्वाध्यायी) से प्राप्त आवेदनों, घोषणा पत्रों, अध्ययन स्रोत अनुबंधों / हस्ताक्षरित सहमति ज्ञापनों एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों/अभिलेखों का संधारण करना।
	v.	मूल्यांकन प्रक्रिया अन्तर्गत सतत् आन्तरिक मूल्यांकन [कन्टिन्युअस इंटरनल असेसमेंट (सीआईए) Continuous Internal Assessment (CIA)] के कार्य संपादन का दायित्व निर्वहन करते हुए सतत् आन्तरिक मूल्यांकन अंक का आबंटन सुनिश्चित करना।
	vi.	सतत् आंतरिक मूल्यांकन (सीआईए) के प्राप्तांकों का संधारण करने एवं विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग को प्रेषित किए जाने का दायित्व विभागाध्यक्ष / कोर्स प्रभारी का होगा (एकल शिक्षकीय विभाग में कोर्स प्रभारी ही विभागाध्यक्ष होगा, जबकि बहुशिक्षकीय विभाग में एक से अधिक कोर्स प्रभारी होंगे)।
	vii.	एक से अधिक कोर्स प्रभारी होने पर मूल्यांकन दस्तावेजों पर सभी संबंधित कोर्स प्रभारियों के हस्ताक्षर होंगे तथा दस्तावेजों का संधारण विभागाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

4/8/26

प्रो. (डॉ.) संजय तिवारी
कुलपति
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

4.0 इंटर्नशिप कोर्स का संचालन एवं प्रबन्धन

महाविद्यालयों / विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों में चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के छठवें सेमेस्टर के समस्त छात्र-छात्राओं (नियमित/स्वाध्यायी) हेतु इंटर्नशिप कोर्स के संचालन एवं प्रबन्धन का संपूर्ण दायित्व प्राचार्य (महाविद्यालय) / संयोजक (इंटर्नशिप प्रकोष्ठ, यूटीडी) की अध्यक्षता में गठित 'इंटर्नशिप प्रकोष्ठ' का है। इस हेतु महाविद्यालय के इंटर्नशिप प्रकोष्ठ के संयोजक द्वारा जिला/संभाग नोडल एवं आरक्यूआईएसीसी (RQIACC) से समन्वय/मार्गदर्शन तथा विश्वविद्यालय एवं स्थानीय/जिला प्रशासन से सहयोग प्राप्त किया जाना प्रावधानित है, तथा इस हेतु यूटीडी के इंटर्नशिप प्रकोष्ठ के संयोजक द्वारा आरक्यूआईएसीसी (RQIACC) से समन्वय/मार्गदर्शन तथा अपने (संबंधित) विश्वविद्यालय एवं स्थानीय/जिला प्रशासन से सहयोग प्राप्त किया जाना प्रावधानित है।

यूटीडी में संचालित संकाय, विषय समूह, अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राओं (नियमित/स्वाध्यायी) की संख्या, कर्तव्यस्थ शिक्षकों की संख्या, महाविद्यालय/यूटीडी की क्षेत्रीय (भौगोलिक/सामाजिक/औद्योगिक) स्थिति आदि के आधार पर सभी छात्र-छात्राओं (नियमित/स्वाध्यायी) के लिए इंटर्नशिप कोर्स हेतु विभिन्न प्रारूप अन्तर्गत उपलब्ध अध्ययन स्रोत विकल्पों के अनुरूप इंटर्नशिप कोर्स के संचालन एवं प्रबन्धन में यद्यपि प्रारूपवार आंशिक भिन्नता हो सकेगी तथापि समान/समेकित संचालन प्रक्रिया समरूप होगी।

4.1 सामान्य संचालन प्रक्रिया

4.1.1 सेमेस्टर प्रारम्भ होने से पूर्व महाविद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग स्तर पर इंटर्नशिप कोर्स संबन्धी प्रेरण कार्यक्रम (Induction Programme) अथवा कार्यशाला (Workshop) का आयोजन महाविद्यालय के प्राचार्य / यूटीडी के अध्यक्ष-सह-संयोजक की अध्यक्षता में 'इंटर्नशिप प्रकोष्ठ' द्वारा किया जाना है, जिसमें प्रकोष्ठ के समस्त सदस्यों एवं छठवें सेमेस्टर के समस्त छात्र-छात्राओं (नियमित/स्वाध्यायी) की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित हो। उक्त आयोजन में इंटर्नशिप कोर्स संचालन संबंधित समस्त बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए समस्त सदस्यों एवं समस्त छात्र-छात्राओं (नियमित/स्वाध्यायी) को समस्त बिन्दुओं से पूर्णतः अवगत कराया जाना सुनिश्चित करना है।

4.1.2 विभाग/विषय से संबंधित समस्त छात्र-छात्राओं (नियमित/स्वाध्यायी) के लिए इंटर्नशिप के विभिन्न प्रारूप अन्तर्गत महाविद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग (यूटीडी) द्वारा अनुबंधित / सहमति ज्ञापन हस्ताक्षरित इंटर्नशिप अध्ययन स्रोतों तथा अतिरिक्त अपेक्षित इंटर्नशिप अध्ययन स्रोतों / शीर्षकों की सूची से सभी छात्र-छात्राओं (नियमित/स्वाध्यायी) को पूर्णरूपेण परिचित/अवगत कराते हुए समस्त छात्र-छात्राओं (नियमित/स्वाध्यायी) की काउंसलिंग करना है, ताकि समस्त छात्र-छात्राओं (नियमित/स्वाध्यायी) द्वारा इच्छित इंटर्नशिप प्रारूप का अध्ययन स्रोत एवं शीर्षक का चयन किया जा सके।

4/8/26

प्रो. (डॉ.) संजय तिवारी
कुलपति
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

4.1.3 पाँचवे सेमेस्टर के विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अंत सेमेस्टर परीक्षा / एन्ड् सेमेस्टर इग्ज़ैमिनेश्न् (ईएसई) [End Semester Examination (ESE)] समाप्ति दिनांक से 05 दिनों के अन्दर उपर्युक्त कंडिका (4.1.1 एवं 4.1.2) के अनुसार समस्त कार्य पूर्ण कर सभी छात्र-छात्राओं (नियमित/स्वाध्यायी) को आगामी 10 कार्य दिवसों (06 घंटे प्रतिदिन = 60 घंटे, क्षेत्रीय कार्य = 02 क्रेडिट्स) में इंटर्नशिप कोर्स संबन्धी क्षेत्रीय कार्य पूर्ण करने हेतु मुक्त करना सुनिश्चित किया जाना है। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी महाविद्यालय के प्राचार्य / यूटीडी के अध्यक्ष-सह-संयोजक की होगी।

4.1.4 निर्धारित किसी इंटर्नशिप प्रारूप अन्तर्गत इंटर्नशिप कोर्स हेतु महाविद्यालय/यूटीडी द्वारा अनुबंधित / सहमति ज्ञापन हस्ताक्षरित अध्ययन स्रोतों से इंटर्नशिप करने के लिए अनुमति हेतु छात्र/छात्रा (नियमित/स्वाध्यायी) द्वारा निर्धारित प्रारूप **(प्रपत्र 1)** में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप **(प्रपत्र 2)** में घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। परन्तु महाविद्यालय/यूटीडी द्वारा अनुबंधित / सहमति ज्ञापन हस्ताक्षरित अध्ययन स्रोतों के अभाव में अथवा अनुबंधित / सहमति ज्ञापन हस्ताक्षरित अध्ययन स्रोतों के अतिरिक्त किसी अन्य अनुमति योग्य उद्योग/संस्था/संगठन/फर्म/सोसाइटी/विभाग से इंटर्नशिप करने के लिए अनुमति हेतु छात्र/छात्रा (नियमित/स्वाध्यायी) द्वारा निर्धारित प्रारूप **(प्रपत्र 1.क)** में आवेदन के साथ उक्त अनुमति योग्य उद्योग/संस्था/संगठन/फर्म/सोसाइटी/विभाग का विस्तृत विवरण, उनके सहमति सहित, निर्धारित प्रारूप **(प्रपत्र 1.ख)** तथा घोषणा पत्र **(प्रपत्र 2)** प्रस्तुत किए जाएंगे।

4.1.5 उपर्युक्तानुसार छात्र/छात्रा (नियमित/स्वाध्यायी) द्वारा अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन के आधार पर महाविद्यालय/यूटीडी द्वारा अनुबंधित / सहमति ज्ञापन हस्ताक्षरित अध्ययन स्रोतों से इंटर्नशिप करने के लिए निर्धारित प्रारूप **(प्रपत्र 3)** में अथवा अनुबंधित / सहमति ज्ञापन हस्ताक्षरित अध्ययन स्रोतों से अतिरिक्त किसी अन्य अध्ययन स्रोत से इंटर्नशिप करने के लिए निर्धारित प्रारूप **(प्रपत्र 3.क)** में अनुमति पत्र, महाविद्यालय के लिए प्राचार्य तथा यूटीडी के लिए संयोजक/अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित, छात्र/छात्रा (नियमित/स्वाध्यायी) को प्रदान करते हुए निर्धारित समय-सीमा में इंटर्नशिप कोर्स पूर्ण करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे।

4.1.6 समस्त **छात्र-छात्राओं** (नियमित/स्वाध्यायी) द्वारा इंटर्नशिप कोर्स संबंधित क्षेत्रीय कार्य, निर्धारित समय-सीमा (10 कार्य दिवस) में पूर्ण कर आन्तरिक मूल्यांकन हेतु प्राथमिक प्रतिवेदन, निर्धारित प्रारूप **(प्रपत्र 4)** में प्रस्तुत किया जाएगा तथा छात्र/छात्रा द्वारा छठवें सेमेस्टर में इंटर्नशिप के बाह्य मूल्यांकन हेतु विस्तृत अंतिम प्रतिवेदन, अर्थात इंटर्नशिप कोर्स प्रतिवेदन, निर्धारित **प्रपत्र 5 [(5.क से 5.ड.)]** की एक प्रति में निर्धारित तिथि से 20 दिवस पूर्व विभागाध्यक्ष / कोर्स प्रभारी के पास जमा किया जाएगा। इंटर्नशिप कोर्स प्रतिवेदनों **[प्रपत्र 4** एवं **प्रपत्र 5 (5.क से 5.ड.)]** का स्वनिर्मित एवं स्वहस्तलिखित होना अनिवार्य है।

4.1.7 किसी छात्र/छात्रा के द्वारा इंटर्नशिप **प्रारूप II : इंटर्नशिप इन ऐकडेमिक प्रोजेक्ट (आईएपी) [Internship in Academic Project (IAP)]** अन्तर्गत किसी ऐसे विषय-वस्तु / शीर्षक (Title) का चयन किया गया हो, जो किसी उद्योग/संस्था/संगठन/फर्म/सोसाइटी/विभाग से संबंधित न हो या जिसमें अध्ययन की आवश्यकता न हो, तो छात्र/छात्रा **प्रपत्र 1.ग** में आवेदन करेंगे।

4/8/26

प्रो. (डॉ.) संजय तिवारी
कुलपति
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

विभागाध्यक्ष / कोर्स प्रभारी द्वारा अनुशंसित आवेदन **(प्रपत्र 1.ग)** के आधार पर प्राचार्य (महाविद्यालय हेतु) / अध्यक्ष (यूटीडी हेतु) द्वारा **प्रपत्र 3.ख** में ही अनुमति प्रदान की जाएगी तथा ऐसी स्थिति में **प्रपत्र 5.ग** में कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र विभागाध्यक्ष / कोर्स प्रभारी द्वारा ही प्रदान किया जाएगा।

4.1.8 किसी छात्र / छात्रा के द्वारा किसी परिस्थिति विशेष में अथवा कारण विशेष से निर्धारित 10 कार्य दिवसों में कार्य निष्पादन में ह्रास होने की स्थिति में विभागाध्यक्ष / कोर्स प्रभारी द्वारा अवकाश दिवस / दिवसों में अतिरिक्त कार्य अवधि निर्धारित करते हुए प्रकोष्ठ संयोजक / संकाय प्रभारी के समन्वय में प्राचार्य (महाविद्यालय हेतु) / संयोजक (यूटीडी हेतु) से अनुमति प्राप्त कर उक्त कार्य का निष्पादन किया जा सकेगा।

4.1.9 ऐसे छात्र / छात्रा जिन्हें विश्वविद्यालय परीक्षा नियमों के अनुसार स्क्राइब (Scribe) की सुविधा मिलती हो / मिल सके, को इंटर्नशिप कोर्स के कार्य निष्पादन-डायरी, प्रतिवेदनों आदि के लेखन हेतु विश्वविद्यालय परीक्षा नियमों के अनुसार सुविधा दी जाएगी।

4.2 इंटर्नशिप प्रारूपवार संचालन / प्रबन्धन के सामान्य दिशा निर्देश (सभी प्रारूपों के लिए)

(क) ज्ञातव्य है कि निर्दिष्ट मान्यता प्राप्त पंजीकृत उद्योग / संस्था / संगठन / फर्म / सोसाइटी / विभाग / व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग (यूटीडी) / महाविद्यालय से इंटर्नशिप हेतु कोई शुल्क नहीं ले सकेंगे और न ही विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग (यूटीडी) / महाविद्यालय द्वारा छात्र / छात्रा से इंटर्नशिप हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।

(ख) छात्र / छात्रा एवं कोर्स प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इंटर्नशिप कार्य छात्र / छात्रा का मौलिक कार्य हो तथा प्रतिवेदन स्वनिर्मित एवं स्वहस्तलिखित ही हो।

(ग) छात्र / छात्रा को अपने कोर्स प्रभारी के सतत् एवं सक्रिय मार्गदर्शन को प्राप्त करते हुए इंटर्नशिप कार्य करना होगा, इस हेतु छात्र / छात्रा द्वारा 'कार्य निष्पादन-डायरी' का संधारण किया जाएगा जिसमें इंटर्नशिप गतिविधि संबंधी जानकारी जैसे प्रतिदिन किए गए कार्य, अध्ययन, सर्वे तथा संबंधित गतिविधियों की जानकारी तथा कोर्स प्रभारी से चर्चा आदि दर्ज होंगे। यह 'कार्य निष्पादन-डायरी' अंतिम इंटर्नशिप प्रतिवेदन के साथ कोर्स प्रभारी के पास जमा की जाएगी।

(घ) इंटर्नशिप हेतु छात्र / छात्रा द्वारा चयनित विषय का निर्धारण 'इंटर्नशिप प्रकोष्ठ' के माध्यम से होगा तथा इसके पश्चात शीर्षक (Title) का निर्धारण तथा इंटर्नशिप कार्य पूर्णता का सत्यापन कोर्स प्रभारी के द्वारा किया जाएगा।

(ड.) इंटर्नशिप कार्य हेतु महाविद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग (यूटीडी) में उपलब्ध संसाधनों जैसे–ग्रंथालय, प्रयोगशाला एवं इंटरनेट सुविधा का उपयोग सभी छात्र-छात्राओं (नियमित / स्वाध्यायी) द्वारा महाविद्यालय के प्राचार्य / यूटीडी के संयोजक से लिखित अनुमति प्राप्त कर, किया जा सकेगा।

4/8/26

प्रो. (डॉ.) संजय तिवारी
कुलपति
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

(च) छात्र/छात्रा को अपने कार्य का स्वहस्तलिखित प्रगति प्रतिवेदन तथा स्वहस्तलिखित अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में कार्य पूर्णता के उपरांत नियमानुसार कोर्स प्रभारी को प्रस्तुत करना होगा जिसमें आवश्यकतानुसार ग्राफ, मैप, जियोटैग्ड फोटोग्राफ, चार्ट् आदि (Graph, Map, Geotagged Photograph, Chart etc.) का उपयोग करना आवश्यक होगा तथा अपने कार्य के साक्ष्य के रूप में इन सभी दस्तावेजों को प्रतिवेदनों के साथ कोर्स प्रभारी के पास जमा करना होगा।

(छ) विषय तथा शीर्षक को आबंटित किए जाने के आवेदन के साथ छात्र/छात्रा द्वारा **डीएससी/डीएसई/जीई** हेतु चयनित विषय के अध्ययन किए जाने की जानकारी पूर्व के सेमेस्टर्स (Semesters) की अंकसूचियों की छायाप्रतियों को संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।

4.2.1 प्रारूप I: इंटर्नशिप इन इंडस्ट्री ऐंड कॉर्पोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) [Internship in Industry and Corporate Affairs (IICA)]

(क) इस प्रारूप में विषय/शीर्षक का चयन छात्र/छात्रा द्वारा अध्ययन किए गए विषय [राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 पाठ्यक्रम के केवल **डीएससी/डीएसई/जीई**] के आधार पर किया जाएगा, साथ ही उक्त चयन का आधार इस प्रारूप में छात्र/छात्रा द्वारा अध्ययन किए गए विषय से संबंधित अनुमति योग्य उद्योग / पंजीकृत फर्म / व्यावसायिक संगठन / संस्था/विभाग की उपलब्धता भी होगी।

(ख) महाविद्यालय/यूटीडी में इंटर्नशिप कोर्स के समुचित संचालन की जिम्मेदारी उपर्युक्तानुसार 'इंटर्नशिप प्रकोष्ठ' की होगी।

(ग) छात्र/छात्रा को इंटर्नशिप कार्य किसी अनुमति योग्य मान्यता प्राप्त, वैध, पंजीकृत फर्म/संस्था / व्यावसायिक संगठन या उद्योग आदि से पूर्ण करना होगा।

(घ) इंटर्नशिप कार्य समाप्ति के पश्चात् अनुमति प्राप्त संबंधित अध्ययन स्रोत (उद्योग/संस्था/संगठन/फर्म/सोसाइटी/विभाग) के अध्ययन स्रोत प्रमुख या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र **(प्रपत्र 5.ग)** प्राप्त करना होगा।

4.2.2 प्रारूप II: इंटर्नशिप इन ऐकडेमिक प्रोजेक्ट (आईएपी) [Internship in Academic Project (IAP)]

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के उद्देश्य पूर्ति में **'इंटर्नशिप इन ऐकडेमिक प्रोजेक्ट (आईएपी)'** की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके द्वारा समस्त छात्र-छात्राओं (नियमित/स्वाध्यायी) में 'फील्ड स्टडी'(Field Study) के कौशल का विकास, समाज में कार्य करने की कला का विकास तथा अन्य जीवन कौशल का विकास किया जा सकता है। इसके द्वारा छात्र/छात्रा कोर्स प्रभारी शिक्षक के मार्गदर्शन में जीवन से जुड़े हुए विभिन्न विषयों में से किसी एक का अनुसंधान करना सीखता हैं तथा इसके द्वारा छात्र/छात्रा में अनुसंधान करने की प्रवृत्ति का विकास किया जाता है। उक्त प्रविधि के माध्यम से कोर्स प्रभारी शिक्षक द्वारा समस्त छात्र-छात्राओं (नियमित/स्वाध्यायी) के साथ उच्च-स्तरीय संप्रेषण स्थापित कर

4/8/26

प्रो. (डॉ.) संजय [illegible]
कुलपति
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

समस्त छात्र-छात्राओं (नियमित/स्वाध्यायी) में सोचने, समझने तथा जीवन में प्रगति हेतु संभावित समस्याओं का हल करने की प्रवृत्ति को विकसित किया जा सकता है।

(क) इस प्रारूप में विषय/शीर्षक का चयन छात्र/छात्रा द्वारा अध्ययन किए गए विषय [राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 पाठ्यक्रम के केवल **डीएससी/डीएसई/जीई**] के आधार पर किया जाएगा, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इंटर्नशिप हेतु चयन किए जाने वाले विषय/शीर्षक/टॉपिक (Topic) की उपादेयता हो।

(ख) **'इंटर्नशिप इन ऐकडेमिक प्रोजेक्ट (आईएपी)'** का आकार इस प्रकार सुनिश्चित किया जाए कि यह नियत समय पर पूर्ण हो सके तथा जिसका सामाजिक महत्त्व एवं उपादेयता हो, साथ ही यह अनुसंधान की प्रवृत्ति में वृद्धि करने वाला होना चाहिए।

(ग) छात्र/छात्रा द्वारा फील्डवर्क / केस स्टडी (Fieldwork / Case Study) आदि गतिविधियों को भी इंटर्नशिप कार्य हेतु चयन किया जा सकेगा।

(घ) इस प्रारूप अन्तर्गत योजना, नियम, विषय-वस्तु, व्यक्ति विशेष आदि आधारित कार्य होने की स्थिति में **प्रपत्र 5.ग** एवं **प्रपत्र 5.घ** कोर्स प्रभारी द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

4.2.3 प्रारूप III : इंटर्नशिप इन कम्युनिटी आउटरीच (आईसीओ) [Internship in Community Outreach (ICO)]

'इंटर्नशिप इन कम्युनिटी आउटरीच (आईसीओ) [Internship in Community Outreach (ICO)]' लोगों के समूहों के साथ मिलकर 'सामुदायिक जुड़ाव कार्य' करने की एक प्रक्रिया है, ताकि उन मुद्दों की पहचान की जा सके जो सामाजिक प्रगति को प्रभावित करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक हित के लिए मिलकर कार्य करना है। इस प्रारूप के इंटर्नशिप में सभी छात्र-छात्राओं (नियमित/स्वाध्यायी) को किसी 'अनुमति योग्य' मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था / अर्ध-शासकीय संस्था / अशासकीय संस्था / पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था / गैर-सरकारी संगठन [नॉन्-गवर्नमेन्टल् ऑगनाइज़ेश्न् (एनजीओ) Non-Governmental Organization (NGO)] से संलग्न होकर किसी सकारात्मक सामाजिक संदर्भ का कार्य करने से पहले उस संगठन से जुड़े सभी विवरण जैसे कार्यक्षेत्र, वैधानिकता, पंजीकरण, कार्य एवं उपलब्धि की जानकारी प्राप्त करेंगे। यह सुनिश्चित करना होगा कि वह संगठन धार्मिक, जातिगत एवं राजनैतिक रूप से पूर्णतः निरपेक्ष हो तथा किसी भी सांप्रदायिक अथवा राजनैतिक विचारधारा से अभिप्रेरित न हो, न ही किसी राजनैतिक दल से संबंधित हो और न ही किसी भी तरह से वैधानिक स्तर पर नकारात्मक रूप से चिह्नित व नकारात्मक रूप से सत्यापित हो। उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा सामुदायिक जुड़ाव कार्य के आयोजन का मुख्य उद्देश्य समस्त छात्र-छात्राओं (नियमित/स्वाध्यायी) में सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना तथा सभी छात्र-छात्राओं (नियमित/स्वाध्यायी) को सामाजिक विकास में योगदान के लिए प्रोत्साहित करना, शिक्षण और शोध की गुणवत्ता में सुधार लाना है एवं सभी छात्र-छात्राओं (नियमित/स्वाध्यायी) के अनुभव को बेहतर बनाना, अधिक समावेशी एवं प्रासंगिक शिक्षा प्रदान करना तथा एक सकारात्मक, सहयोगी और जिम्मेदार नागरिक समाज के निर्माण में योगदान देना है ।

4/8/26

प्रो. (डॉ.) संजय तिवारी
कुलपति
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

(क) छात्र/छात्रा अगर ऐसी शासकीय संस्था / अर्ध-शासकीय संस्था / अशासकीय संस्था / पंजीकृत स्वयंसेवी / गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) से इंटर्नशिप कार्य करना चाहता/चाहती है, जिसका महाविद्यालय / विश्वविद्यालय (यूटीडी) से अनुबंध न हुआ हो या जिसके साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर न हुआ हो, ऐसी स्थिति में 'अनुमति योग्य' मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था / अर्ध-शासकीय संस्था / अशासकीय संस्था / पंजीकृत स्वयंसेवी / गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) में इंटर्नशिप करने हेतु छात्र/छात्रा को नीतिगत नियमानुसार विवरण एवं सहमति पत्र **(प्रपत्र 1.ख)** प्राप्त कर प्राचार्य (महाविद्यालय के लिए) / अध्यक्ष (यूटीडी के लिए) द्वारा अनुमति **प्रपत्र 3.क** में प्राप्त करना होगा।

(ख) ऐसे छात्र/छात्रा जिनको सामुदायिक जुड़ाव कार्य करना है, उन्हें किसी 'अनुमति योग्य' मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था / अर्ध-शासकीय संस्था / अशासकीय संस्था / पंजीकृत स्वयंसेवी / गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) / गैर राजनैतिक संस्था आदि के साथ जुड़कर इंटर्नशिप कार्य करना होगा।

(ग) इंटर्नशिप कार्य समाप्ति के पश्चात् अनुमति प्राप्त संबंधित अध्ययन स्रोत (उद्योग/संस्था/संगठन/फर्म/सोसाइटी/विभाग) के अध्ययन स्रोत प्रमुख या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र **(प्रपत्र 5.ग)** प्राप्त करना होगा।

5.0 इंटर्नशिप कोर्स का मूल्यांकन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के प्रावधानानुसार कुल 50 अंक का इंटर्नशिप कोर्स हेतु 15 अंक का सतत् आन्तरिक मूल्यांकन / Continuous Internal Assessment (CIA) एवं 35 अंक का अंत सेमेस्टर परीक्षा / एन्ड् सेमेस्टर इग्ज़ैमिनेश्न् (ईएसई) [End Semester Examination (ESE)] अर्थात् बाह्य मूल्यांकन होना है **(करिकुलम/परिशिष्ट 4)**।

5.1 प्रावधानित कुल अंको का वितरण

(क)	सतत् आन्तरिक मूल्यांकन / कन्टिन्युअस इंटरनल असेसमेंट (सीआईए) / Continuous Internal Assessment (CIA)—(विभागाध्यक्ष / कोर्स प्रभारी द्वारा)		15 अंक
	1. कार्य मूल्यांकन सतत् प्रगति प्रतिवेदन **(प्रपत्र 4)** के आधार पर	5 अंक	
	2. कार्य परिपूर्णता एवं प्रतिपुष्टि के आधार पर	5 अंक	
	3. कार्यनिष्ठा/नियमितता एवं अनुशासन के आधार पर	5 अंक	
(ख)	अंत सेमेस्टर परीक्षा / एन्ड् सेमेस्टर इग्ज़ैमिनेश्न् (ईएसई) [End Semester Examination (ESE)] / बाह्य मूल्यांकन—प्राचार्य (महाविद्यालय के लिए) / अध्यक्ष (UTD के लिए) द्वारा नियुक्त परीक्षक द्वारा		35 अंक
	1. इंटर्नशिप प्रतिवेदन **[प्रपत्र 5 (5.क से 5.ङ.)]** का मूल्यांकन	20 अंक	
	2. किए गए कार्यों का प्रस्तुतीकरण डिजिट्ल् स्लाइड् प्रेज़ुन्टेश्न् (Digital Slide Presentation) द्वारा	10 अंक	
	3. प्रस्तुतीकरण पर आधारित मौखिक परीक्षा	05 अंक	

4/2/26
प्रो. (डॉ.) संजय तिवारी
कुलपति
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

5.2 सतत् आन्तरिक मूल्यांकन / कन्टिन्युअस इंटरनल असेसमेंट (सीआईए) / Continuous Internal Assessment (CIA)

प्रावधानानुसार 15 अंक का सतत् आन्तरिक मूल्यांकन का कार्य निर्धारित अवधि अन्तर्गत विभागाध्यक्ष / कोर्स प्रभारी द्वारा प्राथमिक प्रतिवेदन (प्रपत्र 4) एवं छात्र/छात्रा के समग्र गतिविधियों के आधार पर पूर्ण किया जाना है।

(क) प्रावधानित आन्तरिक सतत् मूल्यांकन हेतु समस्त छात्र-छात्राओं (नियमित/स्वाध्यायी) को प्रोत्साहित करते हुए विभागाध्यक्ष / कोर्स प्रभारी द्वारा निर्धारित, सुव्यवस्थित, स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रक्रिया से समस्त छात्र-छात्राओं (नियमित/स्वाध्यायी) को पूर्व में ही अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जाना है।

(ख) नियमानुसार सतत् आन्तरिक मूल्यांकन द्वारा सभी छात्र-छात्राओं (नियमित/स्वाध्यायी) को प्रदत्त अंको का शीघ्र प्रसारित करना सुनिश्चित किया जाना है, जिससे प्रेरित एवं प्रोत्साहित होकर समस्त छात्र-छात्राओं (नियमित/स्वाध्यायी) द्वारा अंत सेमेस्टर परीक्षा / एन्ड् सेमेस्टर इग्ज़ैमिनेश्न् (ईएसई) [End Semester Examination (ESE)] / बाह्य मूल्यांकन के लिये उत्कृष्ट अंतिम प्रतिवेदन / इंटर्नशिप कोर्स प्रतिवेदन **[प्रपत्र – 5 (5.क से 5.ड.)]** प्रस्तुतिकरण की तैयारी की जा सके।

5.3 अंत सेमेस्टर परीक्षा / एन्ड् सेमेस्टर इग्ज़ैमिनेश्न् (ईएसई) [End Semester Examination (ESE)] / बाह्य मूल्यांकन

प्रावधानानुसार 35 अंक का अंत सेमेस्टर परीक्षा /एन्ड् सेमेस्टर इग्ज़ैमिनेश्न् (ईएसई) [End Semester Examination (ESE)] / बाह्य मूल्यांकन समस्त **छात्र-छात्राओं** (नियमित/स्वाध्यायी) द्वारा स्वनिर्मित एवं स्वहस्तलिखित इंटर्नशिप कोर्स प्रतिवेदन **[प्रपत्र 5 (5.क से 5.ड.)]** के प्रस्तुतिकरण पर आधारित होना सुनिश्चित है।

(क) महाविद्यालय में अंत सेमेस्टर परीक्षा / बाह्य मूल्यांकन हेतु छठवें सेमेस्टर अवधि अन्तर्गत प्रकोष्ठ संयोजक द्वारा विषयवार/विभागवार परीक्षक की नियुक्ति हेतु पृथक-पृथक पैनल (नाम सूची में महाविद्यालय के शिक्षक, स्थानीय उच्च शिक्षण संस्था के शिक्षक सम्मिलित किए जा सकते हैं) प्राचार्य को प्रस्तुत किया जाना है, जिसके आधार पर प्राचार्य द्वारा नियुक्त परीक्षकों के नाम संकाय प्रभारी सदस्य को सौंप दिया जाना है।

(ख) विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में अंत सेमेस्टर परीक्षा / बाह्य मूल्यांकन हेतु निर्धारित अवधि अन्तर्गत प्रकोष्ठ 'अध्यक्ष-सह-संयोजक' द्वारा विषयवार/विभागवार परीक्षक की नियुक्ति हेतु पृथक्-पृथक् पैनल (नाम सूची में यूटीडी के शिक्षक, स्थानीय उच्च शिक्षण संस्था के शिक्षक सम्मिलित किए जा सकते हैं) बनाते हुए परीक्षकों की विषयवार/विभागवार नियुक्ति कर नियुक्त परीक्षकों के नाम संबंधित संकाय प्रभारी सदस्य को सौंप दिया जाएगा।

(ग) संकाय प्रभारी सदस्य द्वारा विभागाध्यक्ष / कोर्स प्रभारी से समन्वय स्थापित कर बाह्य मूल्यांकन हेतु तिथि निर्धारित करना तथा विषयवार बाह्य मूल्यांकन कार्य संपन्न कराया

4/8/26

प्रो. (डॉ.) संजय तिवारी
कुलपति
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

जाना है। बाह्य मूल्यांकन हेतु कोर्स प्रभारी द्वारा निर्धारित तिथि को डिजिट्ल् स्लाइड् प्रेज़न्टेशन् (Digital Slide Presentation) की व्यवस्था का कार्य संपन्न किया जाना है।

(घ) अंत सेमेस्टर परीक्षा / बाह्य मूल्यांकन हेतु प्रस्तुतिकरण की तिथि एवं समय का निर्धारण तथा आयोजन की व्यवस्था विभागाध्यक्ष / कोर्स प्रभारी द्वारा किया जाना है, इस कार्य में विभाग के सभी सदस्य विभागाध्यक्ष का सहयोग करेंगे। समस्त अभिलेखों का अंतिम संधारण विभागाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

6.0 इंटर्नशिप कोर्स संबन्धी समस्याओं का समाधान

6.1 महाविद्यालय स्तर पर उत्पन्न इंटर्नशिप कोर्स संबन्धी समस्याओं का समाधान 'इंटर्नशिप प्रकोष्ठ' द्वारा महाविद्यालय के प्राचार्य के सहयोग से अथवा आवश्यकतानुसार महाविद्यालय के प्राचार्य, अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य एवं क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा के संयुक्त सहयोग से किया जाना है।

6.2 विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग स्तर पर उत्पन्न इंटर्नशिप कोर्स संबन्धी समस्याओं का समाधान 'इंटर्नशिप प्रकोष्ठ' द्वारा 'अध्यक्ष-सह-संयोजक' एवं वरिष्ठ संकायाध्यक्षों के संयुक्त सहयोग से किया जाना है तथा विशेष आवश्यकता होने की स्थिति में कुलसचिव से भी प्रशासनिक सहयोग लिया जा सकेगा।

6.3 महाविद्यालय में इंटर्नशिप कोर्स हेतु अनुबन्ध / सहमति ज्ञापन संबंधित अथवा अनुबंधित / सहमति ज्ञापन हस्ताक्षरित अध्ययन स्रोतों से संबंधित समस्याओं का समाधान 'इंटर्नशिप प्रकोष्ठ' द्वारा महाविद्यालय के प्राचार्य, अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य, क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा एवं आरक्यूआईएसीसी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA), उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर के संयुक्त सहयोग से किया जाना है।

6.4 विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में इंटर्नशिप कोर्स हेतु अनुबन्ध / सहमति ज्ञापन संबंधित अथवा अनुबंधित / सहमति ज्ञापन हस्ताक्षरित अध्ययन स्रोतों से संबंधित समस्याओं का समाधान यूटीडी के 'इंटर्नशिप प्रकोष्ठ' द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं आरक्यूआईएसीसी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA), उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर के संयुक्त सहयोग से किया जाना है।

7.0 इंटर्नशिप कोर्स संबन्धी आवश्यक अभिलेख/प्रपत्र

इंटर्नशिप कोर्स संचालन नीति अन्तर्गत विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रयुक्त प्रपत्रों का उपयोग किया जाना है, यथा निम्नानुसार है–

प्रपत्र 1	इंटर्नशिप कोर्स हेतु आवेदन का प्रारूप	महाविद्यालय/विश्वविद्यालय (यूटीडी) से अनुबंधित / सहमति ज्ञापन हस्ताक्षरित अध्ययन स्रोत (उद्योग/संस्था/संगठन/फर्म/सोसाइटी/विभाग) से इंटर्नशिप करने हेतु। छात्र/छात्रा (नियमित/स्वाध्यायी) द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

4/8/26

प्रो. (डॉ.) संजय तिवारी
कुलपति
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

प्रपत्र 1.क	इंटर्नशिप कोर्स हेतु आवेदन का प्रारूप	महाविद्यालय / विश्वविद्यालय (यूटीडी) से अनुबंधित / सहमति ज्ञापन हस्ताक्षरित अध्ययन स्रोत (उद्योग / संस्था / संगठन / फर्म / सोसाइटी / विभाग) से अलग अन्य किसी अनुमति योग्य अध्ययन स्रोत (उद्योग / संस्था / संगठन / फर्म / सोसाइटी / विभाग) से इंटर्नशिप करने हेतु। छात्र / छात्रा (नियमित / स्वाध्यायी) द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।
प्रपत्र 1.ख	अध्ययन स्रोत का विवरण एवं सहमति पत्र	इंटर्नशिप हेतु छात्र / छात्रा (नियमित / स्वाध्यायी) द्वारा चयनित अनुमति योग्य अध्ययन स्रोत (उद्योग / संस्था / संगठन / फर्म / सोसाइटी / विभाग) की जानकारी एवं सहमति पत्र। निजी क्षेत्र के अध्ययन स्रोत (अनुमति योग्य उद्योग / संस्था / संगठन / फर्म / सोसाइटी / विभाग) होने की दशा में अध्ययन स्रोत का शासन द्वारा प्रदत्त पंजीयन पत्र / अनुमति पत्र / मान्यता पत्र / संबद्धता पत्र / अन्य संबंधित दस्तावेज की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी आवश्यक है। छात्र / छात्रा (नियमित / स्वाध्यायी) द्वारा पूर्ण कर प्रस्तुत किया जाएगा।
प्रपत्र 1.ग	इंटर्नशिप कोर्स हेतु आवेदन का प्रारूप	छात्र / छात्रा (नियमित / स्वाध्यायी) के द्वारा इंटर्नशिप प्रारूप II : इंटर्नशिप इन ऐकडेमिक प्रोजेक्ट (आईएपी) [Internship in Academic Project (IAP)] अन्तर्गत किसी ऐसे विषय-वस्तु / शीर्षक (Title) का चयन किया गया हो, जो किसी उद्योग / संस्था / संगठन / फर्म / सोसाइटी / विभाग से संबंधित न हो, तो छात्र / छात्रा (नियमित / स्वाध्यायी) द्वारा **प्रपत्र 1.ग** में आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।
प्रपत्र 2	घोषणा पत्र	छात्र / छात्रा (नियमित / स्वाध्यायी) द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।
प्रपत्र 3	अनुमति पत्र	महाविद्यालय / विश्वविद्यालय (यूटीडी) द्वारा अनुबंधित / सहमति ज्ञापन हस्ताक्षरित अध्ययन स्रोत (जिसकी सूची महाविद्यालय के प्राचार्य / अध्यक्ष (यूटीडी इंटर्नशिप प्रकोष्ठ) द्वारा जारी की जाएगी) से इंटर्नशिप हेतु। यह अनुमति पत्र प्राचार्य / अध्यक्ष (यूटीडी, इंटर्नशिप प्रकोष्ठ) द्वारा जारी किया जाएगा।
प्रपत्र 3.क	अनुमति पत्र	महाविद्यालय / विश्वविद्यालय (यूटीडी) से अनुबंधित / सहमति ज्ञापन हस्ताक्षरित अध्ययन स्रोत (उद्योग / संस्था / संगठन / फर्म / सोसाइटी / विभाग) के अतिरिक्त अन्य किसी अनुमति योग्य अध्ययन स्रोत (उद्योग / संस्था / संगठन / फर्म / सोसाइटी / विभाग) जिससे सहमति प्राप्त हुई है, से इंटर्नशिप करने हेतु। यह अनुमति पत्र प्राचार्य / अध्यक्ष (यूटीडी, इंटर्नशिप प्रकोष्ठ) द्वारा जारी किया जाएगा।
प्रपत्र 3.ख	अनुमति पत्र	छात्र / छात्रा (नियमित / स्वाध्यायी) के द्वारा इंटर्नशिप प्रारूप II : इंटर्नशिप इन ऐकडेमिक प्रोजेक्ट (आईएपी) [Internship in Academic Project (IAP)] अन्तर्गत किसी ऐसे विषय-वस्तु / शीर्षक (Title) का चयन किया गया हो, जो किसी उद्योग / संस्था / संगठन / फर्म / सोसाइटी / विभाग से

4/8/26

प्रो. (डॉ.) संजय तिवारी
कुलपति
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

		संबंधित न हो, तो छात्र/छात्रा **प्रपत्र – 1.ग** में आवेदन करेंगे तथा अनुमति की स्थिति में अनुमति पत्र महाविद्यालय के प्राचार्य/अध्यक्ष (यूटीडी, इंटर्नशिप प्रकोष्ठ) द्वारा जारी किया जाएगा।
प्रपत्र 4	इंटर्नशिप कोर्स का प्राथमिक प्रतिवेदन	निर्धारित अवधि समाप्ति उपरांत छात्र/छात्रा (नियमित/स्वाध्यायी) द्वारा कोर्स प्रभारी को प्रस्तुत किया जाएगा।
प्रपत्र 5	अंतिम प्रतिवेदन / इंटर्नशिप कोर्स प्रतिवेदन	अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित अवधि समाप्ति उपरांत छात्र/छात्रा (नियमित/स्वाध्यायी) द्वारा कोर्स प्रभारी को प्रस्तुत किया जाएगा।
प्रपत्र 5.क	अंतिम प्रतिवेदन / इंटर्नशिप कोर्स प्रतिवेदन का कव्हर पेज प्रारूप	निर्धारित अवधि अंतर्गत छात्र/छात्रा (नियमित/स्वाध्यायी) द्वारा कोर्स प्रभारी को प्रस्तुत किया जाएगा।
प्रपत्र 5.ख	(अंतिम प्रतिवेदन / इंटर्नशिप कोर्स प्रतिवेदन में समाहित) घोषणा पत्र–छात्र/छात्रा (नियमित/स्वाध्यायी) द्वारा किए गए कार्य की मौलिकता संबंधी घोषणा।	निर्धारित अवधि अंतर्गत छात्र/छात्रा (नियमित/स्वाध्यायी) द्वारा कोर्स प्रभारी को प्रस्तुत किया जाएगा।
प्रपत्र 5.ग	(अंतिम प्रतिवेदन/इंटर्नशिप कोर्स प्रतिवेदन में समाहित) अनुमति योग्य अध्ययन स्रोत (उद्योग/संस्था/संगठन/फर्म /सोसाइटी/विभाग) का प्रमाणपत्र	संस्था प्रमुख द्वारा दिया जाएगा। निर्धारित अवधि अंतर्गत छात्र/छात्रा (नियमित/स्वाध्यायी) द्वारा कोर्स प्रभारी को प्रस्तुत किया जाएगा।
प्रपत्र 5.घ	(अंतिम प्रतिवेदन/इंटर्नशिप कोर्स प्रतिवेदन में समाहित) कोर्स प्रभारी द्वारा कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र। कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र कोर्स प्रभारी द्वारा दिया जाएगा।	निर्धारित अवधि अंतर्गत छात्र/छात्रा (नियमित/स्वाध्यायी) द्वारा कोर्स प्रभारी को प्रस्तुत किया जाएगा।
प्रपत्र 5.ड	(अंतिम प्रतिवेदन / इंटर्नशिप कोर्स प्रतिवेदन में समाहित) इंटर्नशिप प्रकोष्ठ संयोजक / संकाय प्रभारी द्वारा अनुमोदन पत्र। अनुमोदन पत्र इंटर्नशिप प्रकोष्ठ संयोजक / संकाय प्रभारी द्वारा दिया जाएगा।	निर्धारित अवधि अंतर्गत छात्र/छात्रा (नियमित/स्वाध्यायी) द्वारा कोर्स प्रभारी को प्रस्तुत किया जाएगा।
प्रपत्र 6	(अंतिम प्रतिवेदन/इंटर्नशिप कोर्स प्रतिवेदन में समाहित) छात्र/छात्रा (नियमित/स्वाध्यायी) द्वारा किया गया आभार	छात्र/छात्रा (नियमित/स्वाध्यायी) द्वारा कोर्स प्रभारी को प्रस्तुत किया जाएगा।
प्रपत्र 7	(अंतिम प्रतिवेदन / इंटर्नशिप कोर्स प्रतिवेदन में समाहित) संदर्भ सूची	छात्र/छात्रा (नियमित/स्वाध्यायी) द्वारा कोर्स प्रभारी को प्रस्तुत किया जाएगा।
संबंधित समस्त प्रपत्र संलग्न किए गए हैं।		

प्रो. (डॉ.) संजय तिवारी
कुलपति
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

8.0 संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 1

इंटर्नशिप के विभिन्न प्रारूपों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले अध्ययन स्रोतों का शासकीय / अर्ध-शासकीय / शासकीय मान्यता प्राप्त या शासकीय पंजीकृत होना आवश्यक है। ऐसे अध्ययन स्रोत ही 'अनुमति योग्य' अध्ययन स्रोत होंगे। निजी क्षेत्र के अध्ययन स्रोत (अनुमति योग्य उद्योग / संस्था / संगठन / फर्म / सोसाइटी / विभाग) होने की दशा में अध्ययन स्रोत का शासन द्वारा प्रदत्त पंजीयन पत्र / अनुमति पत्र / मान्यता पत्र / संबद्धता पत्र / अन्य संबंधित दस्तावेज की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी आवश्यक है।

• भारी उद्योग • लघु उद्योग • कुटीर उद्योग एवं गृह उद्योग • ग्रामीण उद्योग • कृषि आधारित उद्योग • कॉर्पोरेट प्रतिष्ठान • राष्ट्रीयकृत बैंक • सहकारी एवं निजी बैंक	• गैर-सरकारी संगठन • बीमा कंपनी • नगर निगम एवं नगर पंचायत • मॉल एवं सुपर / बिग बाजार • पंजीकृत एजेन्सी • प्रधान डाकघर • जिला / तहसील कार्यालय • शासकीय परियोजना इकाई • कोई अन्य अनुमति योग्य समान अध्ययन स्रोत

परिशिष्ट 2

इंटर्नशिप के विभिन्न प्रारूपों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले अध्ययन स्रोतों का शासकीय / अर्ध-शासकीय / शासकीय मान्यता प्राप्त या शासकीय पंजीकृत होना आवश्यक है। ऐसे अध्ययन स्रोत ही 'अनुमति योग्य' अध्ययन स्रोत होंगे। निजी क्षेत्र के अध्ययन स्रोत (अनुमति योग्य उद्योग / संस्था / संगठन / फर्म / सोसाइटी / विभाग) होने की दशा में अध्ययन स्रोत का शासन द्वारा प्रदत्त पंजीयन पत्र / अनुमति पत्र / मान्यता पत्र / संबद्धता पत्र / अन्य संबंधित दस्तावेज की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी आवश्यक है।

• राजकीय विश्वविद्यालय • निजी विश्वविद्यालय, • अन्य शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय • शासकीय / अर्ध-शासकीय विभाग • शासकीय / अर्ध-शासकीय / अशासकीय प्रशिक्षण केन्द्र • शासकीय / अशासकीय तकनीकी संस्थान • कोचिंग संस्था	• शासकीय / अर्ध-शासकीय विद्यालय • निजी आवासीय विद्यालय • सार्वजनिक ग्रन्थालय • वित्तीय संस्थान • डिजिटल संस्थान • कर एवं ऑडिट इकाई • स्वशासी निकाय • कोई अन्य अनुमति योग्य समान अध्ययन स्रोत

4/2/26

प्रो. (डॉ.) संजय तिवारी
कुलपति
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

परिशिष्ट 3

इंटर्नशिप के विभिन्न प्रारूपों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले अध्ययन स्रोतों का शासकीय / अर्ध-शासकीय / शासकीय मान्यता प्राप्त या शासकीय पंजीकृत होना आवश्यक है। ऐसे अध्ययन स्रोत ही 'अनुमति योग्य' अध्ययन स्रोत होंगे। निजी क्षेत्र के अध्ययन स्रोत (अनुमति योग्य उद्योग / संस्था / संगठन / फर्म / सोसाइटी / विभाग) होने की दशा में अध्ययन स्रोत का शासन द्वारा प्रदत्त पंजीयन पत्र / अनुमति पत्र / मान्यता पत्र / संबद्धता पत्र / अन्य संबंधित दस्तावेज की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी आवश्यक है।

• स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम • टीकाकरण कार्यक्रम • स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम • दिव्यांगजन सुविधा शिविर • बाल मजदूरी • अनाथ आश्रम प्रबंधन • वृद्धा आश्रम प्रबंधन • प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम • पेयजल परीक्षण कार्यक्रम • मृदा परीक्षण कार्यक्रम • ऊर्जा उपयोग जागृति कार्यक्रम • कृषि संबंधी जागरूकता कार्यक्रम • ग्रामोद्योग संबंधी जागरूकता कार्यक्रम • आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण कार्यक्रम • आंगनबाड़ी योजनाओं का सर्वेक्षण कार्यक्रम • ग्रामीण खेलकूद संबंधी सर्वेक्षण कार्यक्रम • स्व-सहायता समूह की महिला सदस्यों से संबंधित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन एवं निदान • कामगारों एवं कारीगरों से संबंधित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन एवं निदान • कृषकों से संबंधित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन एवं निदान • यातायात जागरूकता कार्यक्रम	• पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन से संबंधित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन एवं निदान ग्रामीण विद्यालयों / मध्याह्न भोजन केंद्रों से संबंधित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन एवं निदान • ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन एवं निदान • लघु एवं मध्यम उद्योगों से संबंधित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन एवं निदान • नशा मुक्ति केंद्रों से संबंधित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन एवं निदान • विभिन्न व्यापार समितियों से संबंधित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन एवं निदान • संसाधन प्रबंधन • अभिभावक-शिक्षक संघ से संबंधित विभिन्न विषयों का अध्ययन • ग्राम सभा से संबंधित विभिन्न विषयों का अध्ययन एवं परिणाम • गैर-सरकारी संगठनों से संबंधित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन एवं निदान • सामाजिक सरोकार से संबंधित अन्य विभिन्न विषय • सामाजिक संगठनों से संबंधित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन एवं निदान • कोई अन्य अनुमति योग्य समान अध्ययन स्रोत

4/8/26

प्रो. (डॉ.) संजय [illegible]
कुलपति
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

परिशिष्ट 4
चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम (2025-2028)
कोर्स करिकुलम

खण्ड–अ : परिचय			
बी.एससी. (बायोलॉजी), बी.एससी. (मैथमेटिक्स), बी.ए., बी.कॉम., बी.ए., बी.सी.ए. एवं बी.एससी. (होम साइंस) (डिग्री/ऑनर्स)		सेमेस्टर VI	सत्र : 2026-2027
1	कोर्स कोड (Code)	IICA-01 or IAP-01 or ICO-01	
2	कोर्स शीर्षक		
3	कोर्स प्रकार	इंटर्नशिप कोर्स (ISC)	
4	पूर्व अपेक्षित (यदि हो)	चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत	
5	कोर्स लर्निंग आउटकम / Course Learning Outcome (CLO)	• व्यावहारिक/व्यावसायिक ज्ञान प्रदान करना तथा स्वरोजगार संबंधित तथ्यों का बोध कराना। • प्रदेश के समस्त स्नातक छात्र-छात्राओं (नियमित/स्वाध्यायी) को आत्मनिर्भर होने हेतु आधारीय ज्ञान हो सकेगा। • प्रदेश के स्नातक युवाओं को छत्तीसगढ़ में औद्योगिक/संस्थागत/संगठनात्मक क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाओं संबंधित ज्ञान एवं अनुभव का लाभ हो सकेगा।	
6	क्रेडिट महत्व	02 क्रेडिट्स (Credits)	02 क्रेडिट्स = **60** घंटे का प्रशिक्षण आदि
7	कुल अंक	पूर्णांक – 50	उत्तीर्णांक – 20

खण्ड–ब : कोर्स की विषय-वस्तु

कुल अवधि 60 घंटे = 10 दिन

क्र.	विषयवार केंद्रीय अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तावित / उदाहरणार्थ शीर्षक	टिप्पणी
1		
2		
3		
4		
5		
7		
8		
9		
10		

इंटर्नशिप कोर्स संचालन नीति 2026 के प्रावधानानुसार

खण्ड–द : आंकलन एवं मूल्यांकन

अनुशंसित सतत् मूल्यांकन प्रविधि

पूर्णांक–50 अंक	सतत् आन्तरिक मूल्यांकन (CIA) : 15 अंक अंत सेमेस्टर परीक्षा (ESE) / बाह्य मूल्यांकन : 35 अंक
सतत् आन्तरिक मूल्यांकन (CIA) : (कोर्स प्रभारी द्वारा)	इंटर्नशिप कोर्स संचालन नीति 2026 के प्रावधानानुसार
अंत सेमेस्टर परीक्षा (ESE) / बाह्य मूल्यांकन :	इंटर्नशिप कोर्स संचालन नीति 2026 के प्रावधानानुसार

केन्द्रीय अध्ययन मण्डल

—— 0 0 0 ——

4/8/26

प्रो. (डॉ.) संजय तिवारी
कुलपति
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

प्रपत्र 1
इंटर्नशिप कोर्स हेतु आवेदन का प्रारूप
छात्र/छात्रा (नियमित/स्वाध्यायी) द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

महाविद्यालय/विश्वविद्यालय (यूटीडी) से अनुबंधित / सहमति ज्ञापन हस्ताक्षरित अध्ययन स्रोत (उद्योग/संस्था/संगठन/फर्म/सोसाइटी/विभाग) से इंटर्नशिप करने हेतु।

प्रति,

प्राचार्य / अध्यक्ष (यूटीडी, इंटर्नशिप प्रकोष्ठ)

.....

.....

.....

द्वारा : इंटर्नशिप कोर्स प्रकोष्ठ कोर्स प्रभारी / संकाय प्रभारी / संयोजक

विषय : 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम अन्तर्गत छठवें सेमेस्टर में इंटर्नशिप कोर्स बाबत्।

महोदय/महोदया

निवेदन है कि मैं, ... (छात्र/छात्रा का नाम), ... (महाविद्यालय/यूटीडी का नाम) के ..... (संकाय), सेमेस्टर VI (कक्षा), ... (विषय समूह) का/की ..... (नियमित/स्वाध्यायी) छात्र/छात्रा हूँ। मेरा विश्वविद्यालय नामांकन क्रमांक ..... है। मैं महाविद्यालय / विश्वविद्यालय (यूटीडी) द्वारा किए गए संस्थागत अनुबन्ध / हस्ताक्षरित सहमति ज्ञापन (एमओयू) के अनुरूप निम्नानुसार इंटर्नशिप कोर्स पूर्ण करना चाहता/चाहती हूँ।

- इंटर्नशिप प्रारूप–.....
- संबंधित विषय/कोर्स–.....
- इंटर्नशिप का शीर्षक–.....
  .....
- अध्ययन स्रोत का नाम–.....
  .....

उपर्युक्तानुसार अनुमति प्रदान करने की कृपा करेंगे।

संलग्नक : घोषणा पत्र **(प्रपत्र 2)**

दिनांक–

छात्र/छात्रा का हस्ताक्षर–.....

छात्र/छात्रा का नाम–.....

कक्षा–....., सेमेस्टर VI

विषय समूह–.....

नामांकन क्रमांक– .....

1

4/8/26

प्रो. (डॉ.) संजय तिवारी
कुलपति
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

प्रपत्र 1.क

इंटर्नशिप कोर्स हेतु आवेदन का प्रारूप

छात्र/छात्रा (नियमित/स्वाध्यायी) द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

महाविद्यालय/विश्वविद्यालय (यूटीडी) से अनुबंधित / सहमति ज्ञापन हस्ताक्षरित अध्ययन स्रोत (उद्योग/संस्था/संगठन/फर्म/सोसाइटी/विभाग) से अलग अन्य किसी अनुमति योग्य अध्ययन स्रोत (उद्योग/संस्था/संगठन/फर्म/सोसाइटी/विभाग) से इंटर्नशिप करने हेतु।

प्रति,

प्राचार्य / अध्यक्ष (यूटीडी, इंटर्नशिप प्रकोष्ठ)

.....

.....

.....

द्वारा : इंटर्नशिप कोर्स प्रकोष्ठ कोर्स प्रभारी / संकाय प्रभारी / संयोजक

विषय : 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम अन्तर्गत छठवें सेमेस्टर में इंटर्नशिप कोर्स बाबत्।

महोदय/महोदया

निवेदन है कि मैं, ... (छात्र/छात्रा का नाम), ... (महाविद्यालय/यूटीडी का नाम) के ..... (संकाय), सेमेस्टर VI (कक्षा), ... (विषय समूह) का/की ..... (नियमित/स्वाध्यायी), छात्र/छात्रा हूँ। मेरा विश्वविद्यालय नामांकन क्रमांक ..... है। मैं नीतिगत नियमानुसार स्थानीय स्तर पर अपने द्वारा चयन किए गए अध्ययन स्रोत (उद्योग/संस्था/संगठन/फर्म/सोसाइटी/विभाग) में निम्नानुसार इंटर्नशिप कोर्स पूर्ण करना चाहता/चाहती हूँ। उक्त अध्ययन स्रोत (उद्योग/संस्था/संगठन/फर्म/सोसाइटी/विभाग) का विवरण, सहमति पत्र सहित संलग्न है (प्रपत्र – 1.ख)।

- इंटर्नशिप प्रारूप–.....
- संबंधित विषय/कोर्स–.....
- इंटर्नशिप का शीर्षक–.....
  .....
- अध्ययन स्रोत का नाम–.....
  .....

उपर्युक्तानुसार अनुमति प्रदान करने की कृपा करेंगे।

संलग्नक :
1. अध्ययन स्रोत का विवरण, सहमति पत्र सहित **(प्रपत्र 1.ख)**
2. घोषणा पत्र **(प्रपत्र 2)**
3. अध्ययन स्रोत को शासन द्वारा प्रदत्त पंजीयन पत्र / अनुमति पत्र / मान्यता पत्र / संबद्धता पत्र / अन्य संबंधित दस्तावेज की प्रमाणित प्रति

दिनांक–

छात्र/छात्रा का हस्ताक्षर–.....

छात्र/छात्रा का नाम–.....

कक्षा–....., सेमेस्टर VI

विषय समूह–.....

नामांकन क्रमांक– .....

2

4/5/26

प्रो. (डॉ.) संजय ति...
...पति
...विश्वविद्यालय

प्रपत्र 1.ख

अध्ययन स्रोत का विवरण एवं सहमति पत्र

इंटर्नशिप हेतु छात्र/छात्रा (नियमित/स्वाध्यायी) द्वारा चयनित अनुमति योग्य अध्ययन स्रोत (उद्योग/संस्था/संगठन/फर्म/सोसाइटी/विभाग) की जानकारी एवं सहमति पत्र। निजी क्षेत्र के अध्ययन स्रोत (अनुमति योग्य उद्योग/संस्था/संगठन/फर्म/सोसाइटी/विभाग) होने की दशा में अध्ययन स्रोत का शासन द्वारा प्रदत्त पंजीयन पत्र / अनुमति पत्र / मान्यता पत्र / संबद्धता पत्र / अन्य संबंधित दस्तावेज की प्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक है। छात्र/छात्रा (नियमित/स्वाध्यायी) द्वारा पूर्ण कर प्रस्तुत किया जाएगा।

1	अध्ययन स्रोत (उद्योग/संस्था/संगठन/फर्म/सोसाइटी/विभाग) का नाम	
2	अध्ययन स्रोत को शासन द्वारा प्रदत्त पंजीयन पत्र / अनुमति पत्र / मान्यता पत्र / संबद्धता पत्र / अन्य समान दस्तावेज का क्रमांक (उल्लिखित दस्तावेज की प्रमाणित प्रति **प्रपत्र 1.क** के साथ संलग्न करें)	
3	अध्ययन स्रोत (उद्योग/संस्था/संगठन/फर्म/सोसाइटी/विभाग) का स्वरूप (शासकीय/निजी/अन्य)	
4	अध्ययन स्रोत (उद्योग/संस्था/संगठन/फर्म/सोसाइटी/विभाग) के प्रमुख / अधिकृत व्यक्ति का नाम एवं संपर्क पता	
5	अध्ययन स्रोत (उद्योग/संस्था/संगठन/फर्म/सोसाइटी/विभाग) विभाग के कार्यक्षेत्र का संक्षिप्त विवरण	
6	अध्ययन स्रोत (उद्योग/संस्था/संगठन/फर्म/सोसाइटी/विभाग) अन्तर्गत कार्यरत / से संलग्न व्यक्तियों की संख्या एवं स्वरूप	
7	उक्त अध्ययन स्रोत (उद्योग/संस्था/संगठन/फर्म/सोसाइटी/विभाग) से इंटर्नशिप पूरी करने से संभावित उपलब्धियाँ / रोजगार की संभावना	
8	अन्य अतिरिक्त जानकारी (यदि हो तो)	

3

प्रो. (डॉ.) संजय तिवारी
कुलपति
विश्वविद्यालय

9	अध्ययन स्रोत (उद्योग / संस्था / संगठन / फर्म / सोसाइटी / विभाग) प्रमुख / अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रदत्त सहमति	एतद् द्वारा ..... (महाविद्यालय / यूटीडी का नाम) के ..... (नियमित / स्वाध्यायी) छात्र / छात्रा, ...(छात्र / छात्रा का नाम), ... (संकाय), सेमेस्टर VI (कक्षा), ... (विषय समूह), जिनका नामांकन क्रमांक .....है, को इस अध्ययन स्रोत (उद्योग / संस्था / संगठन / फर्म / सोसाइटी / विभाग) द्वारा इंटर्नशिप कोर्स पूर्ण कराने की सहमति प्रदान की जाती है। इस हेतु छात्र / छात्रा तथा महाविद्यालय / विश्वविद्यालय / यूटीडी से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्रमुख के हस्ताक्षर एवं नाम (सील सहित)
10	इंटर्नशिप कोर्स प्रकोष्ठ द्वारा अनुशंसा	
11	इंटर्नशिप कोर्स प्रकोष्ठ के संयोजक का हस्ताक्षर एवं सील (दिनांक सहित)	

4

प्रो. (डॉ.) संजय तिवारी
कुलपति
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

प्रपत्र 1.ग

(इंटर्नशिप कोर्स हेतु आवेदन का प्रारूप)

छात्र/छात्रा (नियमित/स्वाध्यायी) के द्वारा इंटर्नशिप **प्रारूप II : इंटर्नशिप इन ऐकडेमिक प्रोजेक्ट (आईएपी) [Internship in Academic Project (IAP)]** अन्तर्गत किसी ऐसे विषय-वस्तु / शीर्षक (Title) का चयन किया गया हो, जो किसी उद्योग/संस्था/संगठन/ फर्म/सोसाइटी/विभाग से संबंधित न हो, तो छात्र/छात्रा (नियमित/स्वाध्यायी) द्वारा **प्रपत्र 1.ग** में आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

प्रति,

प्राचार्य / अध्यक्ष (यूटीडी, इंटर्नशिप प्रकोष्ठ)

.....

.....

.....

द्वारा : इंटर्नशिप कोर्स प्रकोष्ठ कोर्स प्रभारी / संकाय प्रभारी / संयोजक

विषय : 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम अन्तर्गत छठवें सेमेस्टर में इंटर्नशिप कोर्स बाबत्।

महोदय/महोदया

निवेदन है कि मैं, ... (छात्र/छात्रा का नाम), ... (महाविद्यालय/यूटीडी का नाम) के ..... (संकाय), सेमेस्टर VI (कक्षा), ... (विषय समूह) का/की ..... (नियमित/स्वाध्यायी) छात्र/छात्रा हूँ। मेरा विश्वविद्यालय नामांकन क्रमांक ..... है। मैं ..... (शीर्षक) पर **'इंटर्नशिप इन ऐकडेमिक प्रोजेक्ट (आईएपी) [Internship in Academic Project (IAP)]'** करना चाहता/चाहती हूँ।

- इंटर्नशिप प्रारूप–.....
- संबंधित विषय/कोर्स–.....
  इंटर्नशिप का शीर्षक–.....
  .....
- अध्ययन क्षेत्र / विषय-वस्तु–.....
  .....

उपर्युक्तानुसार अनुमति प्रदान करने की कृपा करेंगे।

संलग्नक : घोषणा पत्र **(प्रपत्र 2)**

दिनांक–

छात्र/छात्रा का हस्ताक्षर–.....

छात्र/छात्रा का नाम–.....

कक्षा–....., सेमेस्टर VI

विषय समूह .....

नामांकन क्रमांक–.....

5

प्रो. (डॉ.) संजय तिवारी
कुलपति
हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

प्रपत्र 2

घोषणा पत्र

छात्र/छात्रा (नियमित/स्वाध्यायी) द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

मैं, ... (छात्र/छात्रा का नाम), ...

..... (महाविद्यालय/यूटीडी का नाम) के .....

(संकाय), सेमेस्टर VI (कक्षा), ... (विषय समूह)

का/की ..... (नियमित/स्वाध्यायी) छात्र/छात्रा हूँ। मेरा विश्वविद्यालय नामांकन

क्रमांक ..... है। मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि

1. मैंने इंटर्नशिप कोर्स संचालन नीति, 2026 का पूर्णरूपेण अध्ययन कर लिया है तथा समझ लिया है।
2. इंटर्नशिप कोर्स प्रकोष्ठ द्वारा दिये गए निर्देश/मार्गदर्शन का पूर्ण पालन करूँगा/करूँगी।
3. निर्धारित अवधि अंतर्गत, प्रदत्त अनुमति अनुरूप इंटर्नशिप कोर्स पूर्ण कर नियमानुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत करूँगा/करूँगी।
4. इंटर्नशिप अंतर्गत अनुशासन, उद्योग/संस्था/संगठन/फर्म/सोसाइटी/विभाग आदि के नियमों एवं निर्देशों का पूर्ण पालन करूँगा/करूँगी तथा ऐसा कोई कार्य/व्यवहार नहीं करूँगा/करूँगी जो कदाचारिता के श्रेणी में आता हो।
5. उक्त नीति अंतर्गत निर्देशानुसार इंटर्नशिप कोर्स पूर्ण करना मेरा उत्तरदायित्व होगा।

दिनांक–

छात्र/छात्रा का हस्ताक्षर–.....

छात्र/छात्रा का नाम–.....

कक्षा–....., सेमेस्टर VI

विषय समूह–.....

नामांकन क्रमांक–.....

अभिभावक का हस्ताक्षर–.....

अभिभावक का नाम–.....

प्रो. (डॉ.) संजय तिवारी
कुलपति
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

File No. GENCOR-35/7408/2026-HIGHER EDUCATION (Computer No. 485149)

प्रपत्र 3

अनुमति पत्र

महाविद्यालय/विश्वविद्यालय (यूटीडी) द्वारा अनुबंधित / सहमति ज्ञापन हस्ताक्षरित अध्ययन स्त्रोत (जिसकी सूची महाविद्यालय के प्राचार्य / अध्यक्ष (यूटीडी, इंटर्नशिप प्रकोष्ठ) द्वारा जारी की जाएगीं) से इंटर्नशिप हेतु। यह अनुमति पत्र प्राचार्य/अध्यक्ष (यूटीडी, इंटर्नशिप प्रकोष्ठ) द्वारा जारी किया जाएगा।

पत्रांक–...../2026-2027 दिनांक–.....

प्रति,

.....

.....

.....

विषय : राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 अन्तर्गत चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के छठवें सेमेस्टर के छात्र-छात्राओं (नियमित/स्वाध्यायी) द्वारा इंटर्नशिप कोर्स पूर्ण करने के संबंध में।

महोदय/महोदया

विषयांतर्गत, नियमानुसार किए गए अनुबंध / हस्ताक्षरित सहमति ज्ञापन (एमओयू) के अनुरूप आपके उद्योग/संस्था/संगठन/फर्म/सोसाइटी/विभाग में इंटर्नशिप कोर्स पूर्ण करने हेतु कुल ..... छात्र-छात्राओं (नियमित/स्वाध्यायी) को अनुमति प्रदान की जाती है (सूची संलग्न हैं)।

नीतिगत निर्धारित अवधि (10 कार्य दिवस/60 घण्टे का क्षेत्रीय कार्य) अंतर्गत छात्र/छात्रा (नियमित/स्वाध्यायी) द्वारा इंटर्नशिप कोर्स पूर्ण करने हेतु आपका समग्र सहयोग अपेक्षित है। किसी स्थिति विशेष में अथवा किसी दिन विशेष में संपर्क/सूचित करने का कष्ट करेंगे।

धन्यवाद!

प्रतिलिपि –

1. संयोजक, इंटर्नशिप प्रकोष्ठ को सूचनार्थ।
2. संबंधित छात्र-छात्राओं को सूचनार्थ।

प्राचार्य / अध्यक्ष (यूटीडी, इंटर्नशिप प्रकोष्ठ)

प्रो. (डॉ.) संजय तिवारी
कुलपति
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

(प्रपत्र 3 के साथ संलग्न करने हेतु)

..... (अध्ययन स्रोत का नाम) से इंटर्नशिप कोर्स पूर्ण करने हेतु अनुमति प्रदत्त छठवें सेमेस्टर के सभी छात्र-छात्राओं (नियमित/स्वाध्यायी) की सूची

क्र.	छात्र/छात्रा का नाम	संकाय	विषय समूह	नियमित/स्वाध्यायी	इंटर्नशिप प्रारूप	नामांकन क्रमांक	टिप्पणी
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

प्राचार्य / अध्यक्ष (यूटीडी, इंटर्नशिप प्रकोष्ठ)

8

प्रो. (डॉ.) संजय तिवा
कुलपति
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

प्रपत्र 3.क
अनुमति पत्र

महाविद्यालय/विश्वविद्यालय (यूटीडी) से अनुबंधित / सहमति ज्ञापन हस्ताक्षरित अध्ययन स्रोत (उद्योग/संस्था/संगठन/फर्म/सोसाइटी/विभाग) के अतिरिक्त अन्य किसी अनुमति योग्य अध्ययन स्रोत (उद्योग/संस्था/संगठन/फर्म/सोसाइटी/विभाग) जिससे सहमति प्राप्त हुई है, से इंटर्नशिप करने हेतु।

पत्रांक–...../2026-2027 दिनांक–.....

प्रति,

.....

.....

.....

विषय : राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 अन्तर्गत चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के छठवें सेमेस्टर के छात्र-छात्राओं (नियमित/स्वाध्यायी) द्वारा इंटर्नशिप कोर्स पूर्ण करने के संबंध में।

महोदय/महोदया

विषयांतर्गत आपके उद्योग/संस्था/संगठन/फर्म/सोसाइटी/विभाग में इंटर्नशिप कोर्स पूर्ण कराने हेतु आपकी सहमति के आधार पर इस महाविद्यालय के कुल ..... छात्र-छात्राओं (नियमित/स्वाध्यायी) को अनुमति प्रदान की जाती है (सूची संलग्न हैं)।

नीतिगत निर्धारित अवधि (10 कार्य दिवस/60 घण्टे का क्षेत्रीय कार्य) अंतर्गत छात्र/छात्रा (नियमित/स्वाध्यायी) द्वारा इंटर्नशिप कोर्स पूर्ण करने हेतु आपका समग्र सहयोग अपेक्षित है। किसी स्थिति विशेष में अथवा किसी दिन विशेष में संपर्क/सूचित करने का कष्ट करेंगे।

धन्यवाद!

प्रतिलिपि–

1. संयोजक इंटर्नशिप प्रकोष्ठ को सूचनार्थ।
2. संबंधित छात्र-छात्राओं को सूचनार्थ।

प्राचार्य / अध्यक्ष (यूटीडी, इंटर्नशिप प्रकोष्ठ)

4/8/21

प्रो. (डॉ.) संजय तिवारी
कुलपति
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

(प्रपत्र – 3.क के साथ संलग्न करने हेतु)

..... (अध्ययन स्रोत का नाम) से

इंटर्नशिप कोर्स पूर्ण करने हेतु अनुमति प्रदत्त छठवें सेमेस्टर के सभी छात्र-छात्राओं (नियमित/स्वाध्यायी) की सूची

क्र.	छात्र/छात्रा का नाम	संकाय	विषय समूह	नियमित/स्वाध्यायी	इंटर्नशिप प्रारूप	नामांकन क्रमांक	टिप्पणी
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

प्राचार्य / अध्यक्ष (यूटीडी, इंटर्नशिप प्रकोष्ठ)

10

प्रो. (डॉ.) संजय तिवारी
कुलपति
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

प्रपत्र 3.ख
अनुमति पत्र

छात्र/छात्रा (नियमित/स्वाध्यायी) के द्वारा इंटर्नशिप **प्रारूप II : इंटर्नशिप इन ऐकडेमिक प्रोजेक्ट (आईएपी) [Internship in Academic Project (IAP)]** अन्तर्गत किसी ऐसे विषय-वस्तु/शीर्षक (Title) का चयन किया गया हो, जो किसी उद्योग/संस्था/ संगठन/फर्म/सोसाइटी/ विभाग से संबंधित न हो, तो छात्र/छात्रा (नियमित/स्वाध्यायी) **प्रपत्र 1.ग** में आवेदन करेंगे तथा अनुमति की स्थिति में अनुमति पत्र महाविद्यालय के प्राचार्य / अध्यक्ष (यूटीडी, इंटर्नशिप प्रकोष्ठ) द्वारा जारी किया जाएगा।

पत्रांक–...../2026-2027 दिनांक–.....

..... (छात्र/छात्रा का पूरा नाम).
..... (संकाय), सेमेस्टर VI (कक्षा), ...
(विषय समूह), ... (नामांकन क्रमांक),.....
(महाविद्यालय/यूटीडी) के/की ..... (नियमित/स्वाध्यायी) छात्र/छात्रा हैं। इन्हें
..... (विभाग/विषय) में .....
..... (शीर्षक) पर आधारित **'इंटर्नशिप इन ऐकडेमिक प्रोजेक्ट (आईएपी) [Internship in Academic Project (IAP)]'** करने की अनुमति दी जाती है।

प्राचार्य / अध्यक्ष (यूटीडी, इंटर्नशिप प्रकोष्ठ)

4/8/26

प्रो. (डॉ.) संजय तिवारी
कुलपति
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

प्रपत्र 4

इंटर्नशिप कोर्स का प्राथमिक प्रतिवेदन

निम्न बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में न्यूनतम 300/अधिकतम 500 शब्दों अन्तर्गत स्वनिर्मित एवं स्वहस्तलिखित प्रतिवेदन (छायाचित्र एवं अन्य दस्तावेज सहित) प्रस्तुत किया जाना है। निर्धारित अवधि समाप्ति उपरांत छात्र/छात्रा (नियमित/स्वाध्यायी) द्वारा कोर्स प्रभारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

1. इंटर्नशिप प्रारूप एवं अध्ययन स्रोत (उद्योग/संस्था/संगठन/फर्म/सोसाइटी/विभाग) का नाम एवं पता–
2. अध्ययन स्रोत (उद्योग/संस्था/संगठन/फर्म/सोसाइटी/विभाग) का कार्य क्षेत्र, उपलब्धियाँ सामाजिक आवश्यकता तथा अनुप्रयोग की परिकल्पना–
3. नियत अवधि में किए गए कार्यों का विवरण (विषय वस्तु, कौशल एवं प्रायोगिक कार्य आदि का विवरण सहित)–
4. इंटर्नशिप का उद्देश्य, प्रासंगिकता एवं लक्ष्य–
5. लक्ष्य प्राप्ति/उपलब्धियाँ/उपादेयता–
6. निष्कर्ष एवं अभिव्यक्ति–

दिनांक–

छात्र/छात्रा का हस्ताक्षर–.....

छात्र/छात्रा का नाम–.....

कक्षा–....., सेमेस्टर VI

विषय समूह–.....

नामांकन क्रमांक–.....

4/1/26

प्रो. (डॉ.) संजय तिवारी
कुलपति
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

प्रपत्र 5

अंतिम प्रतिवेदन / इंटर्नशिप कोर्स प्रतिवेदन

अंतिम प्रतिवेदन छात्र/छात्रा (नियमित/स्वाध्यायी) द्वारा स्वनिर्मित एवं स्वहस्तलिखित (छायाचित्र एवं अन्य दस्तावेज सहित) होना चाहिए। अंतिम प्रतिवेदन की शब्द सीमा 2500 से 3000 है। अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित अवधि समाप्ति उपरांत छात्र/छात्रा (नियमित/स्वाध्यायी) द्वारा कोर्स प्रभारी को प्रस्तुत किया जाएगा। अंतिम प्रतिवेदन निम्न प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना है।

1. कवर पेज (प्रारूप/प्रपत्र)– **प्रपत्र 5.क**
2. छात्र/छात्रा द्वारा कार्य-मौलिकता का घोषणा पत्र– **प्रपत्र 5.ख**
3. अध्ययन स्रोत संस्था/संगठन का प्रमाणपत्र– **प्रपत्र 5.ग**
4. कोर्स प्रभारी द्वारा कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र– **प्रपत्र 5.घ**
5. प्रकोष्ठ संयोजक/संकाय प्रभारी द्वारा अनुमोदन पत्र– **प्रपत्र 5.ड.**
6. आभार– **प्रपत्र 6**
7. मूल प्रतिवेदन प्रारूप निम्नानुसार–
   - अनुक्रमणिका–
   - प्रस्तावना/परिचय–
   - उद्देश्य परिकल्पना–
   - कार्यक्षेत्र का विवरण–
   - कार्य विवरण–
   - कार्य प्रणाली–
   - कार्य की उपयोगिता–
   - कार्य का प्रतिफल–
   - निष्कर्ष एवं संभावनाएँ–
   - भविष्य की योजना–
   - संदर्भ सूची– **प्रपत्र 7**

प्रो. (डॉ.) संजय तिवारी
कुलपति
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

प्रपत्र 5.क

(अंतिम प्रतिवेदन का कवर पेज का प्रारूप)

इंटर्नशिप प्रारूप–.....

इंटर्नशिप शीर्षक–.....

.....

अंतर्गत

अध्ययन स्रोत–.....

.....

में

छात्र/छात्रा का नाम–.....
नामांकन क्र.–.....
कक्षा– .....सेमेस्टर VI
विषय समूह–.....
विषय–.....

द्वारा

विभाग–.....
महाविद्यालय / विश्वविद्यालय (यूटीडी)–.....

को प्रस्तुत

सत्र–.....

प्रो. (डॉ.) संजय तिवारी
कुलपति
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

प्रपत्र 5.ख

मौलिकता संबंधी घोषणा पत्र
(छात्र/छात्रा (नियमित/स्वाध्यायी) द्वारा किए गए कार्य की मौलिकता संबंधी घोषणा)

मैं, ... (छात्र/छात्रा का नाम), ...(महाविद्यालय/यूटीडी का नाम) के ..... (संकाय), सेमेस्टर VI (कक्षा), ... (विषय समूह) का/की ..... (नियमित/स्वाध्यायी) छात्र/छात्रा हूँ। मेरा विश्वविद्यालय नामांकन क्रमांक ..... है। मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि यह इंटर्नशिप प्रतिवेदन मूलतः मेरे द्वारा किए गए कार्यों एवं अनुभव पर आधारित है। इसके तथ्य कहीं भी प्रकाशित नहीं हैं, न ही पूर्व में कहीं भी इनका उपयोग किया गया है।

दिनांक–

छात्र/छात्रा का हस्ताक्षर–.....

छात्र/छात्रा का नाम–.....

कक्षा–....., सेमेस्टर VI

विषय समूह–.....

नामांकन क्रमांक–.....

4/8/26

प्रो. (डॉ.) संजय तिवारी
कुलपति
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

प्रपत्र 5.ग

अध्ययन स्रोत (उद्योग/संस्था/संगठन/फर्म/सोसाइटी/विभाग) का कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ..... (छात्र/छात्रा का नाम), ... (संकाय), सेमेस्टर VI (कक्षा), ... (विषय समूह), ... (नामांकन क्रमांक), ... (महाविद्यालय/यूटीडी) के/की ..... (नियमित/स्वाध्यायी) छात्र/छात्रा हैं। इनके द्वारा नीतिगत नियमानुसार प्रदत्त अनुमति एवं सहमति के आधार पर दिनाँक ..... से दिनाँक ..... तक (कुल ..... कार्य दिवस) निर्धारित अवधि (60 घंटे) का इंटर्नशिप कार्य पूर्ण किया गया है। इंटर्नशिप कार्य अवधि अन्तर्गत इनके द्वारा अनुशासन एवं नियमों का पालन करते हुए सुनियोजित एवं नियमित रूप से कार्य पूर्ण किया गया है तथा इंटर्नशिप कार्यावधि में इनका व्यवहार एवं आचरण (उत्कृष्ट / बहुत अच्छा / अच्छा) ..... रहा है। इनके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई आक्षेप नहीं है।

इंटर्नशिप कार्यावधि में इनके द्वारा किए गए कार्य/प्रशिक्षण के आधार पर इनका मूल्यांकन (उत्कृष्ट / बहुत अच्छा / अच्छा / साधारण आदि) ..... श्रेणी में किया जाता है।

इनके सफल एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना करता/करती हूँ।

दिनांक–

अध्ययन स्रोत प्रमुख

हस्ताक्षर–.....

नाम–.....

सील–

प्रो. (डॉ.) संजय तिवारी
कुलपति
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

प्रपत्र 5.घ

कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र (कोर्स प्रभारी द्वारा)

प्रमाणित किया जाता है कि ..... (छात्र/छात्रा का पूरा नाम), ... (संकाय), सेमेस्टर VI (कक्षा), ... (विषय समूह), ... (नामांकन क्रमांक), ... (महाविद्यालय/यूटीडी) के/की..... (नियमित/स्वाध्यायी) छात्र/छात्रा हैं। इनके द्वारा नीतिगत नियमानुसार प्रदत्त अनुमति एवं सहमति के आधार पर दिनाँक ..... से दिनाँक ..... तक (कुल ..... कार्य दिवस) निर्धारित अवधि (**60** घंटे) का इंटर्नशिप कार्य पूर्ण किया गया है। इनके द्वारा नियमित एवं समयबद्ध कार्य पूर्ण करते हुए इनके अपने मौलिक कार्यों पर आधारित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। इनके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई आक्षेप नहीं है।

सफलता की कामना सहित अग्रेषित।

दिनांक–.....

कोर्स प्रभारी

हस्ताक्षर–.....

नाम–.....

संस्था–.....

4/2/26

4/2/26

प्रो. (डॉ.) संजय तिवा
कुलपति
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

प्रपत्र 5.ड.

अनुमोदन पत्र (इंटर्नशिप प्रकोष्ठ संयोजक/संकाय प्रभारी द्वारा)

प्रमाणित किया जाता है कि ..... (छात्र/छात्रा का पूरा नाम), .

..... (संकाय), सेमेस्टर VI (कक्षा), ... (विषय

समूह), ... (नामांकन क्रमांक), ...

(महाविद्यालय/यूटीडी) के/की..... (नियमित/स्वाध्यायी) छात्र/छात्रा हैं। इनके द्वारा नीतिगत नियमानुसार प्रदत्त अनुमति एवं सहमति के अनुरूप निर्धारित अवधि अंतर्गत उक्त इंटर्नशिप कार्य पूर्ण किया गया है। प्रस्तुत प्रतिवेदन इनके द्वारा किए गए कार्यों पर आधारित है। इनके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई आक्षेप नहीं है।

अनुमोदित।

दिनांक–.....

संयोजक / संकाय प्रभारी

हस्ताक्षर–.....

नाम–.....

संस्था–.....

5/8/25

प्रो. (डॉ.) संजय [illegible]
कुलपति
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

प्रपत्र 6

यह पत्र आभार प्रदर्शन हेतु एक निदर्शन मात्र है। छात्र/छात्रा (नियमित/स्वाध्यायी) द्वारा विवेकानुसार आभार प्रदर्शित किया जा सकता है। इस हेतु छात्र/छात्रा द्वारा कोर्स प्रभारी से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

आभार

मैं उन सबका हृदय से आभार करता/करती हूँ, जिनका सहयोग एवं मार्गदर्शन मुझे इस इंटर्नशिप कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने में प्राप्त हुआ। मैं अपने अध्ययन स्रोत ..... के सभी पदाधिकारियों तथा सभी कर्मचारियों का विशेष रूप से आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इस इंटर्नशिप के दौरान कार्य करने तथा व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने का सुनहरा अवसर प्रदान किया। मैं अपने कोर्स प्रभारी, डॉ/श्री/श्रीमती/सुश्री ....., का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता/करती हूँ, जिन्होंने मुझे निरंतर मार्गदर्शन, सुझाव एवं प्रोत्साहन दिया। मैं अपने महाविद्यालय के प्राचार्य / यूटीडी के इंटर्नशिप प्रकोष्ठ के संयोजक, डॉ/श्री/श्रीमती/सुश्री ...., एवं विभागाध्यक्ष, डॉ/श्री/श्रीमती/सुश्री ...., का आभार व्यक्त करता/करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस इंटर्नशिप को पूर्ण करने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान किया। मैं अपने इंटर्नशिप प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता/करती हूँ, जिन्होंने इंटर्नशिप को पूर्ण करने में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मेरा सहयोग किया। मैं अपने महाविद्यालय/यूटीडी, ..., के समस्त शिक्षकगणों तथा सभी कर्मचारियों के प्रति भी आभारी हूँ, जिन्होंने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इंटर्नशिप को पूर्ण करने में मेरी सहायता की।

मैं अपने माता-पिता का भी हृदय से आभार व्यक्त करता करती हूँ, जिनके निरंतर प्रोत्साहन एवं सहयोग से यह कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो सका।

धन्यवाद!

दिनांक–

छात्र/छात्रा का हस्ताक्षर–.....

छात्र/छात्रा का नाम–.....

कक्षा–....., सेमेस्टर VI

विषय समूह–.....

नामांकन क्रमांक–.....

19

4/8/25

प्रो. (डॉ.) संजय [illegible]
कुलपति
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

प्रपत्र 7

संदर्भ सूची कोर्स प्रभारी के मार्गदर्शन में छात्र/छात्रा (नियमित/स्वाध्यायी) द्वारा विषय शीर्षक के अनुरूप बनाई जाए।

4/8/26

प्रो. (डॉ.) संजय तिवारी
कुलपति
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)